



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	—	v
कार्यपालिक सारांश	—	vii
प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
वर्ष 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें	1.1.3	6
जेंडर बजट	1.1.4	7
राज्य के संसाधन	1.2	7
राज्य के वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण	1.2.2	9
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	10
कर के संग्रहण की लागत	1.3.2	11
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.3	12
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.3.4	13
वस्तु एवं सेवा कर	1.3.5	14
बकाया राजस्व	1.3.6	15
पूँजीगत श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.4	15
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1.4.1	16
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	16
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.4.3	16
लोक लेखे की शेष राशि	1.5	16
संसाधनों का उपयोग	1.6	17
पूँजीगत व्यय	1.6.1	17
राजस्व व्यय	1.6.2	18
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	18
व्यय की गुणवत्ता	1.7	20
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	20
व्यय के उपयोग की कुशलता	1.7.2	20
चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	21
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	21
सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम	1.8.1	21
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	22
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	22
राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	23
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	24
वित्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड़ शेष के आंकड़ों में विविधता	1.8.6	25
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	25
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	25
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	25
आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन	1.9.3	26
राज्य आपदा राहत निधि	1.9.4	27
संचित निक्षेप निधि	1.9.5	28
प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व	1.9.6	28
ऋण प्रबंधन	1.10	29
राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा	1.10.1	30
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि	1.10.2	30
ऋण धरणीयता	1.10.3	30

विवरण	संदर्भ	
	कड़िका	पृष्ठ
द्वितीय अध्याय— वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	33
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.2	34
अधिक्य व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता	2.2.1	34
सतत् अधिक्य व्यय	2.2.2	35
योजनाओं के तहत अधिक्य व्यय	2.2.3	35
बचत	2.2.4	36
अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचत	2.2.5	37
उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया	2.2.6	37
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.7	37
उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.8	37
निधियों का अधिक्य/ अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.2.9	38
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.10	38
पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना	2.2.11	38
व्यय का अतिवेग	2.2.12	38
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3	39
तृतीय अध्याय— वित्तीय प्रतिवेदन		
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)	3.1	41
संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक	3.2	42
स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति	3.3	43
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.4	43
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा लाभश का घोषित न होना	3.4.1	44
हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.5	45
व्यक्तिगत जमा खाते	3.6	46
व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि	3.6.1	46
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.6.2	46
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.7	47
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.8	47
लघु शीर्ष-800 में समायोजन	3.9	49
स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष	3.10	49
शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना	3.10.1	49
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	3.10.2	50
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.11	51
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	3.11	51
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.12	53

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	55
परिशिष्ट 1.1 भाग ब	शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र	56
परिशिष्ट 1.1 भाग स	वित्त लेखों की रूपरेखा	56
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि	58
परिशिष्ट 1.3 भाग अ	वर्ष 2018-19 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार	59
परिशिष्ट 1.3 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	62
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2018-19 के लिये बजट प्रावधान	63
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2018-19 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	65
परिशिष्ट 1.6	राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण	66
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अधिक्य व्यय	69
परिशिष्ट 2.2	योजनायें जिनमें 10 करोड़ से अधिक अधिक्य व्यय हुए	70
परिशिष्ट 2.3	अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत	71
परिशिष्ट 2.4	विनियोगों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत	73
परिशिष्ट 2.5	बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत ₹100 करोड़ से अधिक बचत	75
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत	77
परिशिष्ट 2.7	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	79
परिशिष्ट 2.8	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए	82
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य अनुपूरक प्रावधान	83
परिशिष्ट 2.10	उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	84
परिशिष्ट 2.11	उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य अनुपूरक प्रावधान	86
परिशिष्ट 2.12	उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	88
परिशिष्ट 2.13	अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्नविनियोजन (जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)	89
परिशिष्ट 2.14	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	90
परिशिष्ट 2.15	बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है	91
परिशिष्ट 2.16	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत को समर्पण नहीं किये गये	92
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की अतिवेग	93
परिशिष्ट 3.1	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति	94
परिशिष्ट 3.2	जनवरी 2020 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण	95
परिशिष्ट 3.3	31 दिसम्बर 2019 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश	96
परिशिष्ट 3.4	चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	97
परिशिष्ट 3.5	31 मार्च 2019 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण	99
परिशिष्ट 3.6	विभिन्न विभागों के हानि प्रकरणों में वसूली का विवरण	101

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 3.7	मार्च 2019 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण	101
परिशिष्ट 3.8	व्यक्तिगत जमाखातों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि	102
परिशिष्ट 3.9	पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण	103
परिशिष्ट 3.10	वर्ष 2018-19 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति का विवरण	104
परिशिष्ट 3.11	वर्ष 2018-19 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण	105
परिशिष्ट 3.12	अस्थाई अग्रिम का विवरण	106

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1 एवं 2 में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जाँच में उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय-3 में वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों और विभिन्न विभागों में लेन-देन संव्यवहार और वैधानिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रतिवेदनों और राजस्व प्राप्तियों के अवलोकन पर प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यपालिक सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी हुई लेकिन पूँजीगत व्यय में वर्ष 2018-19 में घटोत्तरी हुई है। यद्यपि वर्ष 2018-19 के दौरान 2017-18 की तुलना में राजस्व प्राप्ति और पूँजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

कंडिका 1.1.1.

राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा और राजस्व आधिक्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जबकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (21.42 प्रतिशत) 14^{वें} वित्त आयोग की निर्धारित लक्ष्यों (18.40 प्रतिशत) से ज्यादा था।

कंडिका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा 2014-19 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ से ₹ 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 65,095 करोड़) पिछले वर्ष से ₹ 5,448 करोड़ (9.13 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 72,868 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹ 64,411 करोड़) वर्ष 2017-18 के मुकाबले ₹ 8,181 करोड़ (14.55 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमानों (₹ 68,423 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 8,903 करोड़) वर्ष 2017-18 के मुकाबले ₹ 1,098 करोड़ (10.97 प्रतिशत) तक घटा जो बजट अनुमानों (₹ 14,454 करोड़) से कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।

कंडिका 1.1.1 तथा 1.1.3

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और अनुशंसाओं का सारांश:

जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 25 योजनाओं के लिए ₹ 5,266 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 3,257 करोड़ (61.84 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को समय-समय पर जेंडर बजट जेंडर बजट सेल का कामकाजों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।

कंडिका 1.1.4

अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 107 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3,687.60 करोड़) में से आज तक, 40 परियोजनाओं में ₹ 2,963.97 करोड़ लागत से अधिक खर्च हुये थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया) चूँकि राज्य शासन ने 67 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्यांकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

कांडिका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य शासन ने सरकार द्वारा लिये गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,819.09 करोड़ का नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार द्वारा लिये गये उधार और दिये गये ऋण व अग्रिमों के बीच के अन्तर के कारण ₹ 44.10 करोड़ का नुकसान वहन किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियों पर भुगतान करती है।

कांडिका 1.8.3 एवं 1.8.4

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभिक रोकड़ शेष ₹ 6,408.91 करोड़ से बढ़कर अंतिम रोकड़ शेष ₹ 12,277.88 करोड़ हो गई, जिसमें ₹ 5,472.97 करोड़ की वृद्धि हुई। निवेश खाते में अधिशेष रोकड़ शेष राशि ₹ 9,759.02 करोड़ थी जबकि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 12,900.00 करोड़ का बाजार ऋण उठाया था। राज्य सरकार के पास मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के तहत बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण अधिशेष था। बड़े रोकड़ शेष के निर्माण से राज्य सरकार के लिये ब्याज लागत का बोझ बढ़ जाता है। राज्य सरकार इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ की उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

अनुशंसा : राज्य सरकार को नई उधारों का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा रोकड़ शेष का उपयोग करना चाहिए।

कांडिका 1.8.5

राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2019 को राज्य आपदा राहत निधि का अंतिम शेष ₹ 400.70 करोड़ था। दिसम्बर 2018 में भारत सरकार से राज्य आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान

₹ 125.10 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 13.90 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। जिसके कारण राजस्व अधिक्व को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को राज्यांश के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश को राज्य आपदा राहत निधि में समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा दिशा निर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

कड़िका 1.9.4

संचित निक्षेप निधि

वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 264.54 करोड़ (वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्व ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 100 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य शासन द्वारा ₹ 164.54 करोड़ का कम योगदान दिया गया, परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्व अधिक और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया।

अनुशंसा: छत्तीसगढ़ शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ऋण मुक्ति हेतु आवश्यक राशि संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

कड़िका 1.9.5

प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

मार्च 2019 के अंत तक ₹ 10,769.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 16.54 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान नई प्रत्याभूतियां ₹ 7,359.15 करोड़ की थी।

12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि नहीं बनाने का निर्णय लिया है।

अनुशंसा: राज्य शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन और संचालन करना चाहिए।

कड़िका 1.9.6

ऑफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सरकारी अधिकारियों के 6,424 आवासीय घरों को बनाने के लिये एवं 728 फ्लेटों की खरीदी के लिए क्रमशः ₹ 401.64 करोड़ केनेरा बैंक से और ₹ 195.00 करोड़ इलाहाबाद बैंक से ऋण लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऋण पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को चुकाने का जिम्मेदारी लिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड ने पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ और केनेरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण लिया।

इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ निहित हैं ना कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड के साथ परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में दर्शाया नहीं गया। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार के दायित्व को ₹ 801.35 करोड़ से कम आंका गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बजट में प्रकटीकरण विवरणों के माध्यम से ऑफ-बजट उधार का विवरण देना चाहिए ।

कंडिका 1.9.6.1

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़ रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 353.09 करोड़ को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2019 को शेष बचत ₹ 29,083.99 करोड़ में से ₹ 23,389.20 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा खर्च की प्रवृत्ति की निगरानी करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रत्याशित बचत जल्द से जल्द समर्पण कर दी जाए ताकि धन का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

कंडिका 2.1

आधिक्य व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों और चार विनियोजनों के तहत राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 1.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (दिसम्बर 2019) नियमित नहीं किया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए ।

कंडिका 2.2.1

बचत

कुल ₹ 29,437.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 27,276.13 करोड़ की बचत 48 मामलों में 38 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 92.66 प्रतिशत है।

25 अनुदानों के तहत 32 प्रकरणों पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल प्रावधानों में से ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई ।

कंडिका 2.2.4 एवं 2.2.5

व्यय की अतिवेग

इसके विपरीत 22 मुख्य शीर्षों में 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 9,213.94 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि कुल व्यय ₹ 14,491.09 करोड़ का 63.58 प्रतिशत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

कंडिका 2.2.12

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 9.80 करोड़ की राशि के आठ मामलों में से सात में व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए।

कंडिका 2.3

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को, विभिन्न विभागों में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध कुल ₹ 6,172.50 करोड़ के 477 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बिना विलंब किये उपयोगिता प्रमाण पत्र के समय पर प्रस्तुत किये जाने से जुड़ी आंतरिक नियंत्रक तंत्र को सही करना चाहिए एवं नवीन अनुदान जारी करने के पहले सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए।

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

राज्य सरकार नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया हैं।

कंडिका 3.4

हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

विभिन्न विभागों में चोरी, सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि और गबन जैसे मामलों में निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.49 करोड़ की राशि लंबित थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा ऐसे प्रकरणों के पुर्नवृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

कंडिका 3.5

व्यक्तिगत जमा खाते

मार्च 2019 तक 231 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,891.10 करोड़ पड़े रहें। कुल शेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ में से भू-अर्जन की राशि ₹ 1,637.42 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ी रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

कंडिका 3.6

राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय तथा राजस्व में गलत प्रविष्टि/लेखन के कारण राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 3,057.79 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 1,054.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.8

लघु शीर्ष-800 में समायोजन

राजस्व प्राप्ति तथा व्यय में ₹ 2,749.90 करोड़ (44 मुख्य शीर्षों) और ₹ 1,033.96 करोड़ (47 मुख्य शीर्षों) वास्तविक शीर्षों के वर्गीकरण के बिना लघु शीर्ष-800 में दर्ज किया गया।

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

कंडिका 3.9

अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

31 मार्च 2019 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 16.15 करोड़ के अस्थायी अग्रिम मामलें समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण समायोजन के लिए लंबित थे।

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

कंडिका 3.10.2

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल उपलब्ध धन का केवल 33.79 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 2018-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 52 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभाविन्त किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 193.57 करोड़ के कुल व्यय में से बोर्ड द्वारा ₹ 166.98 करोड़ (86 प्रतिशत) कल्याणकारी याजनाओं पर व्यय किया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।

कंडिका 3.11

कार्यपालिक सारांश

प्रथम अध्याय
राज्य शासन के वित्त

प्रथम अध्याय

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की पार्श्व दृश्य परिशिष्ट 1.1 (भाग-अ) में दिया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1- भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
प्रचलित भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,21,118	2,27,383	2,54,722	2,84,194	3,11,660
प्रचलित भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
स्थिर भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,85,813	1,91,020	2,07,326	2,18,539	2,31,820
स्थिर भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.77	2.80	8.54	5.41	6.08

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग-ब में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1 के भाग-ग में चित्रित किया गया है।

1.1.1 वर्ष 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2 एवं 1.3 वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब) वर्ष 2018-19 तथा पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

तालिका 1.2: प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व प्राप्तियाँ	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	9.13
स्वयं के कर राजस्व	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	7.70
कर भिन्न राजस्व	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	21.49
राज्य के स्वयं की प्राप्तियाँ	20,637.17	22,289.65	24,614.46	26,235.10	29,130.28	11.04
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	8,363.03	15,716.67	18,809.16	20,754.81	23,458.69	13.03
भारत सरकार का अनुदान	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.16	12,505.96	(-)1.19
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.03	2.84	2.37	3.32	5.26	58.43
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32	17.12
अंतर्राज्यीय समायोजन	0.91	0.52	0.38	1.24	0.57	(-)54.03
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44	14,370.10	48.88
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	51,321.89	55,059.09	62,693.95	72,057.56	76,902.76	6.72
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	46.06
योग	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	1,63,340.85	11.76

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (13.03 प्रतिशत) राज्य की स्वयं की प्राप्तियाँ (11.04 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा तेजी से वृद्धि की। लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में 76.14 प्रतिशत की वृद्धि के तुलना में 48.88 प्रतिशत की कम दर से बढ़ती रही है।

तालिका 1.3: व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व व्यय	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	14.55
सामान्य सेवायें	9,041.58	10,408.76	11,496.23	12,870.41	15,280.28	18.72
समाजिक सुरक्षा	15,388.85	16,339.35	21,341.61	24,371.59	23,454.94	(-)3.76
आर्थिक सेवायें	14,152.22	16,052.54	14,176.21	17,623.09	24,780.79	40.62
सहायता अनुदान/ अंशदान	978.64	900.41	1,150.55	1,364.66	895.16	(-)34.40
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत व्यय	6,544.25	7,945.01	9,470.51	10,000.96	8,903.45	(-)10.97
संवितरित ऋण तथा आग्रिम	88.32	164.73	272.71	368.76	240.44	(-)34.80
अंतर्राज्यीय समायोजन	1.22	0.49	0.44	1.07	0.25	(-)76.64
लोक ऋण की अदायगी	1,336.73	1,250.18	1,152.63	999.88	1,145.89	14.60
आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	100.00
लोक लेखा संवितरण	49,933.47	54,000.89	61,148.85	71,753.74	76,356.85	6.42
अंतिम रोकड़ शेष	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	12,277.88	80.43
योग	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	1,63,340.85	11.76

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय 18.72 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका मुख्य रूप से पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 1,504 करोड़), पुलिस (₹ 475.54 करोड़) तथा चुनाव (₹ 144.45 करोड़) में बढ़ोत्तरी की वजह से हुआ।
- पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान एवं राजस्व व्यय के अन्तर्गत होने वाला अंशदान 34.40 प्रतिशत घट गया, जिसका मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों का देय सहायता में कमी की वजह से हुआ।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	औसत
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	37,988	46,068	53,685	59,647	65,095	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.53	21.27	16.53	11.11	9.13	15.31
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	31,923	38,701	43,696	45,867	48,419	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	12.83	21.23	12.91	4.97	5.56	11.50
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	17.18	20.26	21.08	20.99	20.89	20.08
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	39,561	43,701	48,165	56,230	64,411	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर प्रतिशत)	20.40	10.46	10.21	16.74	14.55	14.47
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	33,245	36,712	39,203	43,240	47,911	
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.61	10.42	6.79	10.30	10.80	10.58
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	17.89	19.22	18.91	19.79	20.67	19.29
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	6,544	7,945	9,471	10,001	8,903	
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	43.07	21.41	19.21	5.60	(-)10.98	15.66
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	5,499	6,674	7,709	7,691	6,623	
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.18	21.38	15.51	(-)0.23	(-)13.89	11.79
पूँ.व्य./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.96	3.49	3.72	3.52	2.86	3.31

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी हुई लेकिन पूँजीगत व्यय में वर्ष 2018-19 में घटोत्तरी हुई है। यद्यपि वर्ष 2018-19 के दौरान 2017-18 की तुलना में राजस्व प्राप्ति और पूँजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

वर्ष 2017-18 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 56,230 करोड़ से बढ़कर (₹ 8,181 करोड़) वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 64,411 करोड़ मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म (₹ 5,558 करोड़), सहकारिता (₹ 2,960 करोड़) तथा पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 1,504 करोड़) में बढ़ोत्तरी की वजह से हुआ।

वर्ष 2017-18 में पूँजीगत व्यय ₹ 10,001 करोड़ से घटकर (₹ 1,098 करोड़) वर्ष 2018-19 में ₹ 8,903 करोड़ हो गया। कमी मुख्यतः शहरी विकास (₹ 357 करोड़) और मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 187 करोड़) में पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हुआ।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

14^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

वर्ष 2018–19 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम 14^{वें} वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: मुख्य राजकोषीय अवयव 2018–19

राजकोषीय अवयव	2018–19			
	14 ^{वें} वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 4,445.35 करोड़	आधिक्य ₹ 683.76 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.22 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	₹ 9,997.27 करोड़	₹ 8,292.23 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.66 प्रतिशत)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	18.40	18.06	18.68	21.42

राजकोषीय घाटा (₹ 8,292.23 करोड़) बजट अनुमान (₹ 9,997.27 करोड़) की तुलना में, मुख्यतः पूँजीगत व्यय (₹ 5,551 करोड़) तथा राजस्व आधिक्य (₹ 3,762 करोड़) में बजट अनुमानों की तुलना में कम होने के कारण हुआ। स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में दो मापदण्डों जैसे राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा पर राज्य एफ.आर.बी.एम का अनुपालन था।

स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (21.42 प्रतिशत) 14^{वें} वित्त आयोग की निर्धारित लक्ष्यों (18.40 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 12,900 करोड़ लेने के कारण हुआ।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटा दर्शाता है कि कुल वित्त राजस्व की आवश्यकता (मुख्य रूप से उधार और भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी तथा और निवेश से आहरित द्वारा) को पूरा करने के लिए राज्य को राजस्व और गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों (ऋण एवं अग्रिमो सहित) की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.6:—राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-)1,573.28	2,366.65	5,520.65	3,417.32	683.76
शुद्ध पूँजीगत व्यय ²	(-)6,541.22	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19
शुद्ध ऋण तथा अग्रिम ³	106.23	131.69	(-)99.78	(-)230.00	(-)77.80
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	0.00	870.12	0.00	0.00	0.00
कुल	(-)8,008.27	(-)4,573.71	(-)4,047.27	(-)6,810.32	(-)8,292.23
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*					
बाजार से लिए गए उधार	3,807.65	4,666.75	3,897.68	8,100.00	12,899.99
भारत सरकार से ऋण	(-)148.49	(-)18.79	211.57	292.41	360.82
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	414.18	389.09	(-)420.53	(-)431.13	(-)443.74
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	645.80	525.92	638.58	691.28	407.14
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	383.80	(-)383.80	0.00	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	443.83	514.30	426.96	640.61	754.51
जमा तथा अग्रिम	466.62	(-)69.54	550.68	120.95	(-)231.39
उंचत तथा विविध	1,449.74	(-)1,823.27	(-)629.98	(-)1,611.16	(-)5,709.95
प्रेषण	193.52	11.94	49.14	70.92	(-)122.43
अन्य ⁴	264.02	389.93	639.80	(-)765.14	60.40
कुल	7,920.67	4,202.53	5,363.90	7,108.74	7,975.35
कुल अधिक्य (+)/घाटा(-)	(-) 87.60	(-) 371.18	1,316.63	298.42	(-) 316.88
योग	8,008.27	4,573.71	4,047.27	6,810.32	8,292.23

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

*सभी आंकड़े वर्ष के दौरान सवितरण/बहाव हैं।

1.1.2.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा⁵ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.7) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.7 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति ¹	प्रारंभिक राजस्व व्यय ⁶	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय ⁷	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिकी घाटा का स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2014-15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	2.84
2015-16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-) 2,425	1.07
2016-17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361	0.53
2017-18	59,790	53,131	10,001	370	63,502	6,659	(-) 3,712	1.31
2018-19	65,263	60,759	8,903	241	69,903	4,504	(-) 4,640	1.49

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

*उदय योजना के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

² शुद्ध पूँजीगत व्यय - पूँजी व्यय: कमी का आंकड़ा बताता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजी प्राप्ति से अधिक था।

³ शुद्ध ऋण और अग्रिम - ऋण और अग्रिम की पुनप्राप्ति - ऋण और अग्रिमों का सवितरण; कमी का आंकड़ा बताता है कि ऋण एवं अग्रिम का सवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था।

⁴ आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

⁵ प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्ति¹ के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्ति¹ की सीमा को इंगित करता है।

⁶ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में से ब्याज भुगतान को छोड़कर है।


⁷ प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा 2014-19 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ से ₹ 6,281 करोड़ के बीच था। वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में ₹ 59,790 करोड़ से ₹ 5,473 करोड़ (9.15 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 65,263 करोड़ हो गई, जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 63,502 करोड़ से ₹ 6,401 करोड़ (10.08 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 69,903 करोड़ (14.36 प्रतिशत) हो जाने से प्राथमिक घाटा वर्ष 2017-18 में ₹ 3,712 करोड़ से ₹ 928 करोड़ (10.08 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,640 करोड़ हो गया। इस प्रकार, प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य सरकार के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें

बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियाँ और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनोपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

वर्ष 2018-19 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19 और बजट अनुमान 2018-19)

वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 7,773 करोड़) में कमी स्वयं के कर राजस्व (₹ 4,603 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 3,207 करोड़) में कमी के कारण हुई। आगे, राज्य शासन वास्तविक राजस्व व्यय (₹ करोड़), जिसमें सामान्य सेवाओं (₹ 1,340 करोड़) और सामाजिक सेवाओं (₹ 4,653 करोड़) में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य (₹ 684 करोड़) प्राप्त करने के सक्षम हुई, तत्पश्चात् वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी तरह पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 5,551 करोड़) मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं (₹ 2,137 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 3,135 करोड़) में कमी के कारण हुआ। व्यय की प्रकृति को कंडिका 1.7 में चर्चा की गई है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि, वित्त मंत्रालय की अनुशंसा (2006–07 का बजट भाषण) के अनुसार, राज्य शासन को जेंडर बजट सेल (जून 2012) का गठन करना था। जेंडर बजट सेल को, विभिन्न विभागों के बीच सामन्जस्य बनाते हुए, जेंडर बजट को लागू करना था, तथा महिला और बाल विकास विभाग इसकी निगरानी और विश्लेषण का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा जेंडर बजट सेल के कार्य के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2018–19 के दौरान 25 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 5,266.46 करोड़ (₹ 3,887.31 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 1,379.15 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5)। कुल बजट ₹ 5,266.46 करोड़ में से केवल ₹ 3,256.82 करोड़ (61.84 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 2,010.62 करोड़ (38.16 प्रतिशत) या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित किया गया तथा ₹ 0.98 करोड़ (0.02 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

बजट प्रावधान ₹ 11,002.18 करोड़, 104 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें बजट का एक भाग पृथक (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, जिसे बिना किसी उप शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।


अनुशंसा: वित्त विभाग को समय-समय पर जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 राज्य के वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों की संरचना एवं उप घटक




(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19 और बजट अनुमान 2018-19)

चार्ट 1.3 : प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

चार्ट-1.4: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्तियों की तुलना (₹ करोड़ में)




(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19)

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2017-18 में जारी राशि ₹ 6,490.81 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 6,381.79 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में ₹ 109.02 करोड़ (1.68 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में कमी हुई। मुख्यतः राशि, उन ईकाईयों को हस्तांतरित किया गया जो योजनाओं को क्रियान्वयन करती हैं, जो कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनाज का विकेन्द्रीकृत खरीदी हेतु आर्थिक सहायता, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अक्षय ऊर्जा-आफ ग्रिड, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इत्यादि। चूंकि ये धनराशि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से पारित नहीं की गई थी, इसलिये राज्य के वित्त खातों में व्यय सम्मिलित नहीं किया गया था।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तथा संरचना परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राप्ति में वृद्धि (₹ 5,448 करोड़, 9.13 प्रतिशत) मुख्यत रूप से राजस्व कर (₹ 1,533 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 1,363 करोड़) और संघीय करों का हिस्सा (₹ 2,704 करोड़) में ज्यादा प्राप्ति के कारण बढ़ोत्तरी हुई।

स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य का स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	15,707	17,075	18,945	19,895	21,427
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	7.10	7.51	7.44	7.00	6.88
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	41.35	37.07	35.39	33.35	32.92

जबकि राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2014-15 में ₹ 15,707 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 21,427 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का समानुपात 2017-18 में 7.00 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 6.88 प्रतिशत हो गया।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व

	14 ^{वें} वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)
कर राजस्व	31,862	26,030	26,030	21,427
कर-भिन्न राजस्व	6,116	8,170	8,170	7,703

(स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2018-19)

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2014-19 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में वृद्धि का प्रतिशत (₹ करोड़ में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,429	8,908	9,927	6,450	4,088	(-)36.62
राज्य वस्तु एवं सेवा कर ⁸	0.00	0.00	0.00	4,387	8,203	86.99
राज्य उत्पाद शुल्क	2,892	3,338	3,444	4,054	4,489	10.73
वाहनों पर कर	703	829	985	1,180	1,205	2.11
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,023	1,185	1,211	1,197	1,108	(-) 7.40
भू-राजस्व	332	364	504	446	488	9.32
माल एवं यात्रियों पर कर	982	1,040	1,340	478	55	(-) 88.60
विद्युत कर तथा शुल्क	1313	1373	1495	1689	1790	5.98
अन्य कर ⁹	33	38	39	14	2	(-) 85.00
योग	15,707	17,075	18,945	19,895	21,427	7.70
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	8.71	10.95	5.01	7.70	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- वर्ष 2018-19 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 7.70 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य के उत्पाद शुल्क (₹ 435 करोड़ से), भू-राजस्व (₹ 42 करोड़ से) एवं विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 101 करोड़ से) वृद्धि के कारण थी।
- पिछले वर्ष के तुलना में 2018-19 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व कर पर, वार्षिक 10.73 प्रतिशत ₹ 435.03 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रतिकारी शुल्क और शराब की खुदरा बिक्री, छत्तीसगढ़ पेय निगम लिमिटेड, द्वारा अधिग्रहण करने से हुई।

⁸ जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद राज्य वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई।

⁹ अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर और सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

- विद्युत कर एवं शुल्क के अंतर्गत प्राप्ति (₹ 101 करोड़) में वृद्धि उपभोक्ताओं के बकाया के संग्रह के कारण हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान बिक्री कर, व्यापार आदि और वस्तु एवं यात्रियों पर कर में ₹ 2,362 करोड़ एवं ₹ 423 करोड़ की क्रमशः घटोत्तरी हुई, क्योंकि कर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) में शामिल हो गये जिसे 1 जुलाई 2017 को लागु किया गया था। पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण ₹ 3,816 करोड़ का वृद्धि हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
गैर-लौह खदान और धातु कर्म उद्योग	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44	6,110.24	24.41
वृहद सिंचाई	410.95	502.17	437.35	461.23	521.81	13.13
वानिकी तथा वन्य जीव	348.72	409.75	405.15	291.17	236.73	(-) 18.70
ब्याज प्राप्तियां	171.89	108.23	157.24	180.44	189.55	5.05
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां ¹⁰	425.67	485.12	528.04	496.14	644.69	29.94
योग	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	21.49

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेख)

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2017-18 के दौरान 10.63 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11.83 प्रतिशत हो गया। कर भिन्न राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान (₹ 1,363 करोड़: 21.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जोकि मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में ₹ 1,199 करोड़ (24.41 प्रतिशत), अन्य कर भिन्न राजस्व (₹ 149 करोड़: 29.94 प्रतिशत) तथा वृहद सिंचाई (₹ 61.00 करोड़: 13.13 प्रतिशत) के कारण हुआ। गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में राजस्व के वृद्धि मुख्यतः कोयला तथा चुनापत्थर खनिजों के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण और लागत का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

¹⁰ लघु सिंचाई, लोक निर्माण, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, लाभांश (छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इत्यादि) इत्यादि।

तालिका 1.12: कर और शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	राजस्व संग्रह पर व्यय	व्यय संग्रह का प्रतिशत	पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत में
		(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)	
बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	2014-15	8428.61	48.55	0.58	0.88
	2015-16	8908.36	50.81	0.57	0.91
	2016-17	9927.21	56.72	0.57	0.66
	2017-18	6449.60	67.24	1.04	0.69
	2018-19	4,087.72	62.73	1.53	0.69
वाहनों पर कर	2014-15	703.48	12.42	1.77	6.25
	2015-16	829.22	12.86	1.55	6.08
	2016-17	985.27	14.96	1.52	4.99
	2017-18	1180.01	15.51	1.31	2.01
	2018-19	1,204.85	18.86	1.57	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	2892.45	59.74	2.07	1.81
	2015-16	3338.40	58.79	1.76	2.09
	2016-17	3443.51	131.46	3.82	3.21
	2017-18	4054.00	171.67	4.23	2.61
	2018-19	4,489.03	71.66	1.60	1.83
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2014-15	1023.33	27.00	2.64	3.37
	2015-16	1185.22	25.14	2.12	3.59
	2016-17	1211.35	24.78	2.05	2.87
	2017-18	1197.47	22.27	1.86	2.99
	2018-19	1,108.46	18.38	1.66	2.96

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

वर्ष 2018-19 में, छत्तिसगढ़ की बिक्री, व्यापार आदि पर करों के संग्रह की लागत (1.53 प्रतिशत) पिछले वर्ष के अखिल भारत औसत से अधिक थी। हालांकि छत्तिसगढ़ की वाहनों पर करों के संग्रह की लागत (1.57 प्रतिशत), राज्य उत्पादों पर करों के संग्रह की लागत (1.60 प्रतिशत) और मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क पर करों के संग्रह की लागत (1.66 प्रतिशत) अखिल भारत औसत से कम थी।

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और संघीय कर एवं शुल्कों का हिस्सा मिलता है। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.13: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदानों	1,568.28	2,328.79	2,013.42		
राज्य योजना स्कीम के लिये अनुदानों	6,435.44	4,775.83	7,785.03		
केन्द्र योजना स्कीम के लिये अनुदानों (केन्द्र प्रवर्तित योजना स्कीम के लिये सहित)	984.08	956.97	463.18		
केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदानों				9,275.76	8,214.77
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान				1,460.23	1,679.48
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान				1,921.17	2,611.70
कुल	8,987.80	8,061.59	10,261.63	12,657.16	12,505.95
राजस्व प्राप्तियां	37,988	46,068	53,685	59,647.07	65,094.93
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	23.66	17.50	19.11	21.22	19.21

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

योजना तथा योजनेत्तर व्यय का विलियन के पश्चात् 1 अप्रैल 2017 से उप-शीर्षों के लेखा प्रणाली में सुधार हेतु '01 योजनेत्तर अनुदान', '02 राज्य योजना के लिये अनुदान', '03 केन्द्र योजना के लिये अनुदान' तथा '04 केन्द्र प्रवर्तित योजन के लिये अनुदान' को समाप्त किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न उप-मुख्य शीर्षों 'केन्द्र प्रवर्तित योजन के लिये अनुदान' (₹ 8,214.77 करोड़), 'वित्त आयोग के अनुदान' (₹ 1,679.48 करोड़) और अन्य 'हस्तांतरण/अनुदान' (₹ 2,611.70 करोड़) सहायता अनुदान प्राप्त किया।

1.3.3.1 : केन्द्रीय सड़क निधि का कम हस्तांतरण

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है। मौजूदा लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में बुक किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क एव पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा - 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है।

जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार 2018-19 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 214.02 करोड़ जारी किये। जिसमें से मात्र ₹ 200.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा '8449-अन्य जमा - 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' को लोक लेखा में हस्तांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 14.02 करोड़ राजस्व आधिक्य की अव्यक्ति एवं वित्तीय घाटे की नियुक्ति हुई।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विवरण तालिका 1.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	291.44	5,789.33
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2,094.36	462.00
निगम कर	2,920.41	4,950.08	6,019.53	6,352.98	8,157.09
निगम कर के भिन्न आय पर कर	2,085.45	3,455.09	4,183.59	5,364.62	6,007.35
आय एवं व्यय पर अन्य करों	0.07	0.09	0.00	0.00	42.48
धन कर	7.88	0.92	13.78	(-) 0.19	2.98
सीमा शुल्क	1,352.54	2,504.03	2,589.37	2,093.70	1,662.66
संघ उत्पाद शुल्क	763.73	2,069.99	2,956.84	2,188.50	1,104.93
सेवा कर	1,232.95	2,727.11	3,045.99	2,369.40	217.76
वस्तु तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	9.16	0.06	0.00	12.11
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	8,363.03	1,5716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के हिस्सा	22.01	34.12	35.04	34.80	36.04

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष से केन्द्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,789 करोड़), निगम कर (₹ 8,157 करोड़) और निगम कर के भिन्न आय पर कर (₹ 6,007 करोड़) के अंतर्गत हुआ। जबकि करों का संकलन मुख्य रूप से सेवा कर (₹ 218 करोड़), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 462 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 1,105 करोड़), और सीमा शुल्क (₹ 1,663 करोड़) के अंतर्गत कम हुआ।

1.3.5 वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा जीएसटी लागू किये जाने के कारण पाँच सालों में हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त अंतिम राजस्व आंकड़े, जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, के आधार पर की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के करों के राजस्व आंकड़े वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अंतिमीकृत किये गये थे। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व ₹7,357.43 करोड़ थे राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का लागू करके की जायेगी।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व का आंकड़ा ₹ 10,900.32 करोड़ था। 2018-19 के राजस्व के आंकड़ें प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में प्रदर्शित किये गये हैं जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी) का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का कर भाग का एसजीएसटी में हस्तांतरण का विभाजन और आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹ 10,900.32 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार के ₹8,203.40 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई। राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 2,261 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया।

1.3.5.1 वस्तु एवं सेवाकर डाटा तक पहुँच

वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) के स्वचालित संग्रहण के प्रारंभ होने से लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी लेनदेनों की नमूना जांच के स्थान पर व्यापक जांच की और बढ़ा जाय, जिससे लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक आदेश का परिपालन किया जा सके। डाटा तक वांछित पहुँच अभी प्रदान किया जाना बाकी है। वस्तु एवं सेवाकर के सभी लेनदेनों के डाटा तक पहुँच न होने के कारण वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। अतः वर्ष 2018-19 के लेखे, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर एक बार अपवाद के रूप में, उसी प्रकार प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि अभिलेखों के मैनुअल रूप में रखरखाव के समय किये जाते थे।

अनुशंसा: सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।

राजस्व का कम संग्रहण

1.3.6 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि		पाँच वर्ष से अधिक की बकाया राशि	
		31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,459.64	2,969.00	1,074.29	1,231.99
2	राज्य उत्पाद शुल्क	51.20	52.50	26.49	27.84
3	वाहनों पर कर	27.72	9.77	8.06	8.06
4	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	54.17	126.84	15.37	0.00

भू-राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, गैर लौह खदान और धातु क्रम उद्योग वन तथा वन्यजीव विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

अनुशसा: वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

1.4 पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियाँ

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2014-19 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.16 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.16: पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	3.03	2.84	2.37	3.32	5.26
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	0.91	0.52	0.38	1.24	0.56
(अ) कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	198.80	299.75	175.74	143.15	168.14
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-87.95)	50.78	(-41.37)	(-18.54)	17.46
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89	13,816.66
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	8.69	145.28	381.53	464.55	553.44
(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44	14,370.10
पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	6,638.47	7,550.90	5,655.67	9,795.59	14,538.24
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	63.78	12.60	(-24.43)	76.14	48.88
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.ड. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
पू.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.93	13.74	(-25.10)	73.20	48.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी विनिवेश नहीं किया गया एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा पूंजीगत भाग के निवेश से वापस के कारण विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ हुईं।

लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि आंतरिक ऋणों प्राप्तियों में 50.38 प्रतिशत की वजह से हुई जो बाजार ऋणों के कारण हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका -1.17 में किया गया।

1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 162.32 करोड़ ऋण की वसूली मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 91 करोड़), शहरी विकास (₹ 42 करोड़) एवं खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (₹ 28 करोड़) से हुई।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका:1.17 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार ऋण	4,200.00	4,850.00	4,200.00	8,100.00	12,899.99
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	870.12	0.00	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	796.13	673.52	898.40	1,087.89	916.67
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	658.81	712.23	0.00	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89	13,816.66

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण एवं अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के प्रभाव की चर्चा **कण्डिका 1.8.3 एवं 1.8.4** में की गई है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से ₹ 553.44 करोड़ ऋण एवं अग्रिम मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना क्रम-II (₹ 549.23 करोड़) और सतत शहरी परिवहन योजना (₹ 3.73 करोड़) के लिए प्राप्त हुये।

1.5 लोक लेखे की शेष राशि

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण-21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण **तालिका 1.19** में दिखायी गई है।

तालिका 1.18:- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र	लोक लेखा प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,649.09	894.58	754.51
2	आरक्षित निधियाँ	814.87	650.08	164.79
3	जमा तथा अग्रिम	4,118.33	4,349.72	(-)231.39
4	उचन्त और विविध	1,59,728.76	1,65,438.71	(-) 5,709.95
	घटाइये- विभागीय शेष	3.30	5.51	(-) 2.21
	घटाइये - स्थाई अग्रदाय	0.00	0.00	0.00
	घटाइये - रोकड़ शेष निवेश	99,263.06	1,04,951.22	(-) 5,688.16
	कुल- उचन्त और विविध	60,462.40	60,481.97	(-) 19.58
5	प्रेषण	9,858.07	9,980.50	(-)122.43
	योग (1 से 5 तक)	76,902.76	76,356.85	545.90


(स्रोत: वर्ष 2018-19 वित्त लेखे)

घाटे के वित्तीय में निधि की शुद्ध उपलब्धता के अंतर्गत लघु बचत, जमा तथा अग्रिम और प्रेषण का प्रमुख भाग है। इसका अलावा, नकद शेष निवेश नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत शुद्ध संवितरण, वर्ष 2018-19 के दौरान नकद शेष निवेश खाते के तहत आयोजित निवेश (₹ 5,688.16 करोड़) में अधिशेष नकदी शेष की उपलब्धता के कारण हुई वृद्धि का इंगित करता है जिसका कंडीका 1.8.5 में चर्चा की गई है।

1.6 संसाधनों का उपयोग

व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2014-19 के दौरान क्रमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखें)

1.6.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पूँजीगत व्यय से अनुपात तालिका 1.19 में दिखाया गया है।

तालिका 1.19 पूँजीगत व्यय का स.रा.घ.उ. के साथ अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	6,544	7,945	9,471	10,001	8,903
पूँजीगत व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	2.96	3.49	3.72	3.52	2.86

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय (₹ 1,098 करोड़; 10.97 प्रतिशत) घट गया जोकि मुख्य रूप से जलप्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 404 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 230 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण हुआ।

पूँजीगत व्यय के अंतर्गत जलप्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय में कमी मुख्यतः 'अटल नगर विकास प्राधिकरण', ग्लोबल एनव्हाइरनमेन्ट फण्ड से सहायत प्राप्त राज्य शहरी परिवहन परियोजना तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अद्योसंरचना पर व्यय कम होने के कारण हुई। पूँजीगत व्यय के अंतर्गत ऊर्जा में कमी मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण' पर व्यय कम होने के कारण हुई। जबकी, इसी वर्ष संचार के पूँजीगत व्यय में ₹ 206 करोड़ वृद्धि हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2017-18 में 84 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 21 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2017-18 के राजस्व व्यय ₹ 56,230 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 64,411 करोड़ (₹ 8,181 करोड़, 14.55 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं में ₹ 7,158 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य रूप से वेतन मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.20 में वर्ष 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	10,003 (26)	10,865(24)	11,424 (21)	13,184(22)	16,444	17,808 (27)
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	2,010 (5)	2,305(5)	2,868 (5)	3,447(6)	एन.ए.	1,593 (2)
ब्याज भुगतान	1,727(5)	2,149 (5)	2,687 (5)	3,098(5)	3,747	3,653 (6)
पेंशन	3,249 (9)	3,519 (8)	3,487 (6)	3,898(7)	5,335	5,429 (8)
सब्सिडी	3,747 (10)	7,397 (16)	4,189(8)	5,005(8)	5,989	8,323 (13)
कुल	20,736 (55)	26,235 (57)	24,655(46)	28,632(48)	31,515	36,806 (57)

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

वेतन एवं मजदूरी (₹ 17,808 करोड़), सब्सिडी (₹ 8,323 करोड़) और पेंशन (₹ 5,429 करोड़) कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 49 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 48 प्रतिशत उपयोग किया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 13,184 करोड़ का हुआ था, जो कि वर्ष 2018-19 में 35 प्रतिशत (₹ 4,624 करोड़) बढ़कर ₹ 17,808 करोड़ हो गया जिसका मुख्य रूप से वेतन आयोग के बकाया राशि की किस्त के भुगतान के कारण हुई। सहायता अनुदान से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2017-18 में हुये व्यय ₹ 3,447 करोड़ से घटकर (₹ 1,854 करोड़) वर्ष 2018-19 में ₹ 1,593 करोड़ हो गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 566.51 करोड़ (34 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.21 में दिए गए हैं।

तालिका 1.21:- ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18			2018-19		
	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	36,690.44	2,474.18	6.74	49,553.83	2,958.53	5.97
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.57	133.83	5.72	2,700.39	139.48	5.17
लघु बचत भविष्य निधि आदि	6075.40	419.55	6.91	6,832.42	488.85	7.15
अन्य	7,801.67	70.77	0.91	7,662.87	65.68	0.86
कुल	52,907.08	3,098.33	5.86	66,749.51	3,652.54	5.47

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पेंशन भुगतान

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्वोरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-19 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 2,457.90 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 2,445.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 12.64 करोड़ कम था।

31 मार्च 2019, की स्थिति में ₹ 17.14 करोड़ (प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों का अंशदान ₹ 3.10 करोड़ सम्मिलित) लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 12.64 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 17.14 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 29.78 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज देयता सृजित की है, जिससे भविष्य में सरकार को कर्मचारियों/प्रतिदेय वित्तीय देयता की वापसी में संभावित अरिश्चितता हो सकती है और इस प्रकार याजना की संभावित विफलता के लिये खुद का प्रेरित करना होगा।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों का योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।

सब्सिडी

वर्ष 2018-19 में सब्सिडी ₹ 8,323.01 करोड़, राजस्व प्राप्तियों (₹ 65,095 करोड़) की 12.73 प्रतिशत रही। इन सब्सिडी के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों मुख्यतः अल्पावधी कृषि ऋण माफी योजना (₹ 3,000 करोड़), मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,770 करोड़), पाँच हॉर्स पावर के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (₹ 827 करोड़), और राज्य सहकारी विपणन महासंघ को खाद्य खरीदी पर नुकसान की पूर्ति (₹ 500 करोड़) के लिये थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2017-18	2018-19
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	59.41	22.79
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	88.14	0.49
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.68	0.45
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	849.67	818.23
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	47.07	29.14
योग		1,044.97	871.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है। यह सामाजिक क्षेत्र में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में कमी के बावजूद हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.23 में की गई है।

तालिका 1.23: वर्ष 2014-15 एवं 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ईई/स.रा.घ.उ.	डीई [#] /ईई	एसएसई/ईई	सीई/ईई	शिक्षा/ईई	ईएसई/ईई	स्वास्थ्य/ईई
औसत (अनुपात) 2014-15							
सामान्य श्रेणी राज्य	15.99	68.51	36.15	14.02	32.36	16.54	4.92
छत्तीसगढ़	20.89	77.73	36.74	14.36	40.99	20.60	5.05
औसत (अनुपात) 2018-19							
सामान्य श्रेणी राज्य	16.05	67.04	36.59	14.28	30.45	14.99	5.07
छत्तीसगढ़	23.60	77.66	34.42	12.10	43.24	17.68	5.11

ईई: सकल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय [#]विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता को दर्शाता है कि, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के क्षेत्र को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से बेहतर था, राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से पिछड़ गया।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

तालिका 1.24 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.24: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	29,541 (64)	32,392 (63)	35,518 (61)	41,995 (63)	50,652	48,236
विकास पूँजीगत व्यय	6,287 (14)	7,582 (15)	9,283 (16)	9,698 (15)	13,920	8,648
विकास ऋण एवं अग्रिम	78	164	273	169	303	240
कुल विकास व्यय	35,906 (78)	40,138 (77)	45,074 (78)	51,862 (78)	64,875	57,124 (78)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	46,195	51,811	57,968	66,600		73,555

कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.25 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.98	0.34	28.13	2.41	0.32	44.96
सामान्य शिक्षा	1.00	0.12	36.56	0.67	0.11	63.84
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.60	0.65	43.10	0.29	0.59	47.47
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.64	0.66	2.57	0.94	0.21	3.68
कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें	10.58	2.44	12.72	9.35	1.96	9.42
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.13	0.48	16.61	0.12	0.15	8.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2.52	11.63	51.70	2.16	15.87	50.81

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे)

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13^{वें} एव 14^{वें} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2014-19 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.26: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियां	13 ^व एव 14 ^व वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां	लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2014-15	448.12	544.85	75	122	(-)47
2015-16	486.45	630.18	35	130	(-)95
2016-17	508.63	624.47	35	123	(-)88
2017-18	531.51	588.88	35	111	(-)76
2018-19	564.84	697.19	35	123	(-) 88

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई।

अनुशंसा: राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं जिसका लागत ₹ 10 करोड़ और उससे उपा की जानकारी जो 31 मार्च 2019 तक या उससे पहले पूर्ण होने थे, तालिका 1.27 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.27 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें				31 मार्च 2019 को 107 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			40 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित	40 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 40 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत		
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	10	307.69	2	151.61	551.20	399.59	496.65
जल संसाधन	97	3,379.91	38	1,486.88	4,051.26	2,564.38	3,868.34
योग	107	3,687.60	40	1,638.49	4,602.46	2,963.97	4,364.99

(स्रोत: वित्त लेख 2018-19)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। चूंकि राज्य सरकार ने 67 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। जिससे परियोजना का वांछित लाभ नहीं पाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

वर्ष 2014-19 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	1,872.53	6,192.22	6,778.60	6,866.37	7,268.04
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.86	5.73	0.55	4.80	1.49
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.05	0.09	0.01	0.07	0.02
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.16	6.25	6.62	6.38	6.10
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.11	6.16	6.61	6.31	6.08
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	114.41	381.44	448.07	433.27	441.90

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,819.09 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहयता द्वारा नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया। यद्यपि इन्होंने अपने लेखों का अतिमीकरण नहीं किया।

अनुशांसा: राज्य शासन को उन कंपनियों/निगमों/बैंकों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूंजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है।

1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29 : राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त औसत ब्याज (₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	1,545.99	1,395.41	1,273.96	941.98	1,519.63 ¹¹
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	88.32	164.73	272.71	368.76	240.44
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32
अंतशेष	1,439.45	1,263.75	1,373.69	1,172.16	1597.75
निवल वृद्धि	(-)106.54	(-)131.66	99.72	230.17	78.12
ब्याज प्राप्तियाँ	47.30	47.02	30.19	27.61	28.32
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	3.17	3.54	2.28	2.36	1.82
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.16	6.25	6.62	6.38	6.10
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(-) 2.99	(-)2.71	(-)4.34	(-)4.02	(-)4.28
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	2.64	4.46	11.89	14.82	10.29

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

¹¹ प्रोफार्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष परिवर्तित हो गया।

विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 44.10 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्नभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

अनुशंसा: विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के हित में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ऋण, विभिन्न संस्थाओं का उस ब्याज दर के बराबर या अधिक ब्याज दर पर दिया जाये जो सरकार उधार ली गई धनराशि पर देती है।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.30 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.30: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	637.60	320.72
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	637.60	320.72
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	4,070.85	9,759.02
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	4,708.45	10,079.74
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	10.28	12.49
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	2,085.84	2,185.31
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	2,096.46	2,198.14
कुल (अ) तथा (ब)	6,804.91	12,277.88

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अंतिम रोकड़ शेष (तालिका-1.3) ₹ 1,218.38 करोड़ (मार्च 2015 के अनुसार) बढ़कर ₹ 12,277.88 करोड़, जो कि बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभिक रोकड़ शेष ₹ 6,408.91 करोड़ से बढ़कर अंतिम रोकड़ शेष ₹ 12,277.88 करोड़ हो गई, जिसमें ₹ 5,472.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

मार्च 2019 तक रोकड़ शेष का निवेश ₹ 2,512 करोड़ (मार्च 2017) से बढ़कर ₹ 9,759.02 करोड़, जो की राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का 19.69 प्रतिशत है। आधिशेष रोकड़ शेष भारत सरकार के कोषालय देयकों (ट्रेजरी बिल)में निवेश किया गया था।

निवेश खाते में आधिशेष रोकड़ शेष राशि ₹ 9,759.02 करोड़ थी जबकि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 12,900.00 करोड़ का बाजार ऋण उठाया था। राज्य सरकार के पास मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के तहत बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण आधिशेष था। बड़े रोकड़ शेष के निर्माण से राज्य सरकार के लिये ब्याज लागात का बोझ बढ़ जाता है। राज्य सरकार इसके साथ उपलब्ध आधिशेष रोकड़ की उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

अनुशंसा : राज्य सरकार को नई उधारों का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा रोकड़ शेष का उपयोग करना चाहिए।

1.8.6 वित्त लेखे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष के आंकड़ों में विविधता

अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा प्रस्तुत रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 401.87¹² करोड़ शुद्ध अन्तर है। यह अंतर मुख्य रूप से नौ बैंक द्वारा पेंशन के ₹ 399.82 करोड़ के भुगतान के कारण है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष में शामिल है जैसे की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताया गया है, लेकिन कोषालय के लेखे में लेखांकन नहीं किया गया है।


1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा संरचना

यद्यपि शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वित्त लेखे)

¹² वित्त लेखों में ₹ 320.72 करोड़ (डेबिट) और रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 81.15 करोड़ सूचित किया गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.31 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय देयता—आधारभूत मानक

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	18,195	24,214	28,330	36,690	49,554
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,854	1,836	2,047	2,340	2,701
कुल लोक ऋण (क)	20,049	26,050	30,377	39,030	52,255
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,649	4,166	5,435	6,078	6,832
आरक्षित निधियां	1,646	1,958	2,328	1,590	1,656
जमा	5,637	5,567	6,118	6,239	6,007
अन्य लोक लेखे देयतायें (ख)	10,932	11,691	13,881	13,907	14,495
कुल राजकोषीय देयतायें (क+ख)	30,981	37,741	44,258	52,907	66,750
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	24.40	21.82	17.27	19.54	26.16
राजकोषीय देयतायें/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	14.01	16.60	17.38	18.62	21.42
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	81.55	81.93	82.44	88.70	102.54

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देनदारियों की वृद्धिदर 26.16 प्रतिशत था और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋण 21.42 प्रतिशत था, जो एफ.आर.बी.एम द्वारा प्रामाणिक मानक (18.06 प्रतिशत), 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (18.40 प्रतिशत) और बजट आंकलन (18.68 प्रतिशत) से ज्यादा था। राजकोषीय देनदारियों में अभिवृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का समग्र बोझ ₹ 3,098 करोड़ (वर्ष 2017-18) से 18 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,653 करोड़ (वर्ष 2018-19) हो गया।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष क्रेडिट(+), डेबिट (-)	2018-19 के दौरान प्राप्ति	2018-19 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष क्रेडिट(+), डेबिट (-)
(क) ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	202.83	540.68	342.81	400.70
योग (क) ब्याज वाले आरक्षित निधि	202.83	540.68	342.81	400.70
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222-निक्षेप निधि	1,946.94	100.00	0.00	2,046.94
8223-अकाल राहत निधि	3.78	0.23	0.00	4.01
8228-राजस्व आरक्षित निधि	4.63	0.00	0.00	4.63
8229- विकास तथा कल्याण निधि	1,517.87	383.23	516.54	1,384.56
8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01	0	0	0.01
योग-(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	3,473.23	463.46	516.54	3,440.15
योग क एवं ख- आरक्षित निधि	3,676.06	1,024.14	859.35	3,840.85
आरक्षित निधि निवेश लेखा	(-)2,085.84	209.95	309.43	(-)2,185.32

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 3,840.85 करोड़ अंतिम शेष) में से 12 संचालित तथा चार आरक्षित निधि (₹ 18.99 करोड़ अंतिम शेष) सात साल से अधिक से संचालित नहीं थे। राज्य सरकार 31 मार्च 2019 तक ₹ 2,185.32 करोड़ (56.90 प्रतिशत) का निवेश कर चुकी थी। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.33 में दिये गये हैं।

तालिका 1.33: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
8229- विकास एवं कल्याण निधि		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000-01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008-09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011-12
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01
योग	18.99 (क्रेडिट)	

आगे, वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2019 में ₹ 214.76 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

यह इंगित करने पर (मई 2019) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया है कि (जुलाई 2019) कि वित्त विभाग से ग्रामीण विकास निधि से संबंधित कोई भी राशि इस विभाग को स्थानांतरित नहीं किया गया है। हालांकि, वित्त विभाग द्वारा सूचित (अगस्त 2019) किया गया कि संबंधित विभाग से ग्रामीण विकास निधि का व्यय योजना तैयार करने के लिये कहा जायेगा।

अनुशंसा: राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ)

मार्च 2019 को राज्य आपदा राहत निधि का अंतिम शेष ₹ 400.70 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2015 के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंको के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है और अर्जित ब्याज को संबंधित कोष में जमा किया जाना है। आगे यह दर्शाता है की भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने के राज्य अपने हिस्से के साथ राशि को तुरंत लोक लेखे शीर्ष में 15 दिनों के अंदर हस्तांतरित कर देना चाहिए। किसी भी विलंब के लिये राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज सहित विलम्ब के दिनों के लिए राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

दिसम्बर 2018 में भारत सरकार से राज्य आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 125.10 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 13.90 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि में वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्व अधिक्य को अधिकएवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। राज्य आपदा राहत निधि के दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को राज्य आपदा राहत निधि को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर 2.24 करोड़ ब्याज देने की जरूरत थी, की ब्याज की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर¹³ के अनुसार की गई है।

¹³ फरवरी 2019 तक 6.75 प्रतिशत तथा 8 फरवरी से मार्च 2019 तक 6.50 प्रतिशत।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, निधि का शेष भारत सरकार की प्रतिभूतियों, नियमित ट्रेजरी बिल, ब्याज अर्जन जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा के प्रमाण पत्र में निवेश किया जाना है। वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रेजरी बिलों में 182 दिनों के लिए 209.28 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था और इन निवेशों पर ₹ 7.25 करोड़ का ब्याज दिया गया था जिसे निधि में क्रेडिट कर दिया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को राज्यांश के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश को राज्य आपदा राहत निधि में समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 264.54 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 100 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य सरकार द्वारा 164.54 करोड़ का कम योगदान किया गया जिसके कारण राजस्व आधिक्य अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2006-07 से 2018-19 के दौरान ₹ 2,046.94 करोड़ शेष रहा।

अनुशंसा: छत्तीसगढ़ शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ऋण मुक्ति हेतु आवश्यकता राशि संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

1.9.6 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.34 में दिया गया है।

तालिका 1.34: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	9,080.06	14,883.41	12,641.13	6,549.89	19,573.79
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,314.47	1,988.24	3,982.97	3,881.92	10,769.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2019 के अंत तक ₹ 10,769.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 16.54 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान नई प्रत्याभूतियाँ ₹ 7,359.15 करोड़ की थी।

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रतिभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2018-19 के दौरान ₹ 151.92 करोड़ का स्थानांतरण करना था, जिसमें से ₹ 19.41 करोड़ केवल वर्ष 2018-19 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियाँ मध्यम एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के तौर में ₹ 41.11 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5.00 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण सहकारी संस्थाओं को मूलधन की पुनः अदायगी एवं ब्याज के भुगतान (₹ 36.00 करोड़) के लिए दी गई प्रत्याभूतियों से कम प्राप्ति होना है।

अनुशंसा: राज्य शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन और संचालन करना चाहिए।

1.9.6.1 ऑफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सरकारी अधिकारियों के 6,424 आवसीय घरों को बनाने के लिये एवं 728 फ्लेटों की खरीदी के लिए क्रमशः ₹ 401.64 करोड़ केनेरा बैंक से और ₹ 195.00 करोड़ इलाहाबाद बैंक से ऋण लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऋण पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को चुकाने का जिम्मेदारी लिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड ने पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवसीय घरों के निर्माण के लिए इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ और केनेरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण लिया।

इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ निहित हैं ना कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड के साथ परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में दर्शाया नहीं गया। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार के दायित्व को ₹ 801.35 करोड़ से कम आंका गया। इसके अतिरिक्त यदि इन ऑफ बजट दायित्वों को जोड़ा जाता तो राजकोषीय घाटा और बढ़ जाता।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने मूलधन राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 22.53 करोड़ एवं ₹ 33.61 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड को ₹ 23.60 करोड़ का भुगतान किया और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा एक साल/छ:महीने के मार्जिनल कास्ट आफ फंड लेंडिंग रेट (एम.सी.एल.आर) पर बैंक से 7.9 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत की दर से ऋण लिया और राज्य सरकार ने बाजार ऋण (छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण) से 7.43 प्रतिशत से 8.18 प्रतिशत की दर से वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण लिया। यदि सरकार द्वारा ऑफ बजट दायित्व के जगह बाजार ऋण के 8.18 प्रतिशत (बाजार ऋण से अधिकतम ब्याज) की दर से लिया होता तो ₹ 1.06 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज बोझ से बचा जा सकता था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बजट में प्रकटीकरण विवरणों के माध्यम से ऑफ-बजट उधार का विवरण देना चाहिए।

1.10 ऋण प्रबंधन

विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के कुल लोक ऋणों (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों तथा अन्य देयतायें जिसमें लघु बचत, भविष्य निधि, ब्याज सहित और ब्याज रहित आरक्षित निधियां तथा ब्याज सहित और ब्याज रहित जमा शामिल हैं) की स्थिति राजकोषीय देयतायें के तहत तालिका-1.32 में प्रदान की गई है।

1.10.1 राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा वर्ष 2018-19 तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: राज्य ऋण के परिपक्वता

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0 से 1	1,846.88	3.73
1 से 3	8,200.45	16.55
3 से 5	11,582.52	23.37
5 से 7	13,342.90	26.93
7 से 9	13,041.05	26.32
9 और उससे अधिक	1,540.03	3.11
योग	49,553.83	

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

31 मार्च 2019 में राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि, राज्य को नौ साल के अंदर 96.89 प्रतिशत ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। आगे यह भी दर्शाता है कि राज्य का अगले सात से नौ साल जो कि वित्तीय वर्ष 2026 से 2028 के दौरान 13,041.05 करोड़ (कुल दायित्व का 26.32 प्रतिशत) ऋण का भुगतान करना है।

1.10.2 लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि

वर्ष 2014-19 के दौरान लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि के विस्तृत विवरण तालिका 1.36 में दिया गया है।

तालिका 1.36: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि

ब्यौरे	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ ¹⁴ (₹ करोड़ में)	11,914	12,902	11,804	15,851	20,737
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) ¹⁵ (₹ करोड़ में)	7,363	8,215	8,801	10,301	10,577
निधियों की शुद्ध उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,551	4,687	3,003	5,550	10,160
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	38.20	36.33	25.44	35.01	48.99

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 51 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूँजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका।

1.10.3 ऋण धारणीयता

राजकोषीय दायित्वों को टिकाऊ माना जाता है यदि राज्य सरकार भविष्य निकट भविष्य में इन दायित्वों के स्टॉक का निर्वहन करने में सक्षम है और ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अप्रबंधनीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के लिये एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थ व्यवस्था की वृद्धि

¹⁴ कुल प्राप्तियाँ ₹ 20,737 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 13,817 करोड़ भारत सरकार का ऋण ₹ 554 करोड़ और अन्य दायित्व ₹ 6,366 करोड़।

¹⁵ कुल पुनर्भुगतान ₹ 10,577 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्ष मूलधन और ब्याज ₹ 3,912 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 332 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 6,333 करोड़।

दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 1.37 डोमर स्थिरता की शर्तों को दर्शाती है।

तालिका -1.37 : डोमर मॉडल के अंतर्गत ऋण धारणियता मानदंड		
जी=वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर : आर = वास्तविक ब्याज वृद्धि दर : जी-आर, डोमर अंतराल को दर्शाता है	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक आधिक्य)
जी-आर > 0 (सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होगा ।	लोक ऋण शून्य से निचे स्थित एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होगा और लोक बचतों का निर्माण करेगा।
जी - आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण बिना किसी स्थिर स्तर की अभिसारित हुए, अनिश्चित रूप से बढ़ेगा	अपरिभाषित स्थिति

छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि राजकोषीय दायित्व को एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होना चाहिए, जैसा कि तालिका 1.38 में दिखाया गया है।

तालिका 1.38 : 2014-19 के दौरान राज्य के ऋण स्टॉक की धारणीयता

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक वृद्धि दर (आर)	जी-आर>0	प्रारंभिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)
2014-15	1.77	(-) 0.29	2.06	(-) 6,281
2015-16	2.80	(-) 0.52	3.32	(-) 2,425
2016-17	8.54	3.10	5.44	(-) 1,361
2017-18	5.41	3.67	1.74	(-) 3,712
2018-19	6.08	3.67	2.41	(-) 4,640

• वास्तविक वृद्धि दर, राज्य के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर परिकलित है ।
 • वास्तविक ब्याज वृद्धि दर की गणना राजकोषिय दायित्वों पर औसत ब्याज दर से मुद्रास्फीति को घटाकर किया गया औसत मुद्रास्फीति का गणना एम.ओ.एस.पी.आई के वेब साइट पर उपलब्ध, छत्तीसगढ़ के मासिक मुद्रास्फीति दरों की मुद्रास्फीति के वर्तमान श्रृंखला (2012) के संदर्भ में की गयी है।

सभी पाँच वर्षों (वर्ष 2014 से 2019) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ह्रासमान रहा लेकिन वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान पुनः वृद्धिमान हो गया। डोमर मॉडल के तहत ऋण धारणीयता की शर्तों, जैसा कि तालिका 1.38 में दर्शाया गया है के मद्देनजर राज्य सरकार का राजकोषीय दायित्व ऋण धारणीयता की शर्त (जी-आर>0) को संतुष्ट करता है। तथापि यह विचारणीय है कि, डोमर अंतराल (जी-आर) लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। डोमर गैप के इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिये कि वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण का 58 प्रतिशत (₹ 49,553.84 करोड़) 6.10 की औसत ब्याज दर (वास्तविक ब्याज दर 3.67 प्रतिशत)के विपरीत आठ या आठ प्रतिशत से अधिक (वास्तविक ब्याज दर 5.57 प्रतिशत) की ब्याज दर पर उधार लिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता का आकलन करने के लिए अन्य कारकों जैसे कि लोक लेखे की देनदारियाँ, ऑफ बजट उधारियाँ, अप्रत्याशित घटनायें¹⁶ और/अथवा सूचीबद्ध नहीं किए गए राजस्व के अन्य नुकशानों पर भी विचार किया

¹⁶ जैसे कि वर्तमान में कोरोना वायरस और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसके प्रभाव ।

जाना चाहिए। आगे वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और ब्याज भुगतान के भार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से पार कर निरंतर बढ़ते रहे, जैसे की विवेचना नीचे की गयी है।

वित्तीय घाटा और ऋण धारणीयता

वित्तीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में भी ऋण धारणीयता को परिभाषित किया है। चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिये राजकोषीय समेकन के लिये सिफारिशों की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिये सीमाये प्रदान की। 14वें वित्त आयोग लक्ष्यों की तुलना में ऋण स्टॉक की स्थिती तालिका 1.39 में प्रदान की गयी है।

तालिका 1.39 : ऋण धारणीयता-राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	राजकोषीय घाटा सापेक्ष सा.रा.घ.उ		ऋण स्टॉक सापेक्ष सा.रा.घ.उ		ब्याज भुगतान सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों	
	(प्रतिशत में)					
	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	3.50	2.01	13.73	16.60	3.33	4.66
2016-17	3.50	1.58	15.50	17.38	3.76	5.00
2017-18	3.50	2.33	17.05	18.62	4.07	5.19
2018-19	3.50	2.66	18.40	21.42	4.30	5.61

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखें और 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

राज्य सरकार 2015-16 से वित्त आयोग का लक्ष्यों के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के लिये ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) का लक्ष्य हासिल नहीं किये गये थे। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी लक्ष्यों के भीतर नहीं था; इसके अलावा 2015-2019 के दौरान यह 16.60 प्रतिशत से बढ़कर 21.42 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये राजकोषीय घाटे के लिये लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ब्याज भुगतान और राजकोषीय देनदारियों की गतिविधि को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा लक्षित स्तर पर वित्तीय समेकन के लिये वर्ष 2019-20 तक प्रत्याशित पथ पर नहीं लगता है।

द्वितीय अध्याय
वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग की लेखापरीक्षा का निष्पादन करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तविक व्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरणों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का सारांश तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 कुल बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	65,037.92	16,446.81	81,484.73	60,716.91	20,767.82	20,458.20	15,756.21	75.87
	II पूंजीगत	15,460.94	822.12	16,283.06	9,416.20	6,866.86	6,846.97	5,927.23	86.32
	III ऋण तथा अग्रिम	412.91	98.00	510.91	323.33	187.58	174.73	124.17	66.19
	कुल दत्तमत	80,911.77	17,366.93	98,278.70	70,456.44	27,822.26	27,479.90	21,807.60	78.38
भारित	IV राजस्व	4,460.54	338.57	4,799.11	4,103.03	696.08	685.38	662.94	95.24
	V पूंजीगत	27.93	1.40	29.33	28.07	1.26	1.24	1.19	94.05
	VI लोक ऋण	2,063.37	0.00	2,063.37	1,145.89	917.48	917.48	917.48	100.00
	कुल भारित	6,551.84	339.97	6,891.81	5,276.99	1,614.82	1,604.09	1,581.60	97.94
	कुलयोग	87,463.61	17,706.90	1,05,170.51	75,733.43	29,437.08	29,083.99	23,389.20	79.45

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़¹ (कुल अनुदान/विनियोग का 27.99 प्रतिशत) रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 353.09 करोड़ को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2019 को शेष बचत ₹ 29,083.99 करोड़ में से ₹ 23,389.20 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया। यह चिंता का एक गंभीर कारण है और प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है। सरकार मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए, ₹ 17,706.90 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अनुशंसा: अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा खर्च की प्रवृत्ति की निगरानी करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रत्याशित बचत जल्द से जल्द समर्पण कर दी जाए ताकि धन का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

¹ कुल बचत ₹ 29,438.75 करोड़ है और आधिक्य व्यय ₹ 1.67 करोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक बचत ₹ 29,437.08 करोड़ है।

2.2 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन**2.2.1 आधिक्य व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुदान/विनियोग में आधिक्य व्यय को नियमित कराना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों और चार विनियोजनों के तहत राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 1.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (दिसम्बर 2019) नियमित नहीं किया गया है, जिसे **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, 2018-19 के दौरान भी हुए आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जाना है जो कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण की आवश्यकता है

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल मांग / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि जिसका नियमितीकरण आवश्यक है	समर्पण राशि
(₹ करोड़ में)						
राजस्व दत्तमत						
1	50	बीस सूत्रीय योजना क्रियान्वयन विभाग	1.66	2.70	1.04	0.00
राजस्व भारित						
2	6	वित्त विभाग	0.50	0.52	0.02	0.00*
3	14	पशुपालन विभाग	0.00 [@]	0.05	0.05	0.00
4	33	आदिवासी कल्याण	0.10	0.20	0.10	0.00
5	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	0.46	0.77	0.31	0.30
पूँजीगत/दत्तमत						
6	6	वित्त विभाग	0.10	0.25	0.15	0.00
योग			2.82	4.49	1.67	0.30

[@] प्रारंभ में ₹ 20,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

* प्रारंभ में ₹ 41,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

लोक निर्माण कार्य-भवन विभाग द्वारा 31 मार्च 2019, ₹ 1.67 करोड़ की अंतिम अधिकता के बावजूद, 0.30 करोड़ का समर्पण किया गया जो की अवास्तविक और अनुचित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

2.2.2 सतत् आधिक्य व्यय

विगत तीन वर्षों में सात अनुदानों/विनियोगों के तहत 15 उप-शीर्षों में प्रावधान से अधिक सतत् आधिक्य व्यय पाया गया। इन उप-शीर्षों/योजनाओं के तहत इस वर्ष किए गए एक करोड़ से अधिक अतिरिक्त व्यय तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3 सतत् आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मांग सं.	उप-शीर्षों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	06	2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	2.83	3.87	17.79
2		2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	9.53	26.93	71.89
3		2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष राशि की प्रतिपूर्ति	3.39	3.98	3.93
4	07	2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत	3.64	2.13	2.32
5	19	2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	3.21	2.16	1.65
6		2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	22.95	15.05	14.83
7	41	2210-03-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.63	11.08	22.39
8		2210-03-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	20.00	19.45	26.34
9		2210-03-198-0102-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.08	4.76	8.75
10	58	2245-80-800-96-आग के फैलने से राहत	8.57	12.94	3.87
11		2245-80-800-7729-डुबने से, धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	9.16	26.86	19.86
12	64	2210-03-198-0103-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	4.25	2.92	5.38
13		2225-01-102-0703-7629-अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	2.38	2.98	4.31
14	75	4700-07-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजनानिर्माण कार्य (नाबार्ड)	4.97	35.00	1.91
15		4702-101-0311-9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत	5.76	26.99	22.40

(स्रोत: 2016-17 से 2018-19 तक के विनियोग लेखे)

अनुशांसा: उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सामाजिक क्षेत्र में लगातार अधिक व्यय के बावजूद, पर्याप्त बजट प्रावधान यह संकेत नहीं देते थे कि बजट अनुमानों की तैयारी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

2.2.3 योजनाओं के तहत आधिक्य व्यय

कुल 22 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,006.99 करोड़ का व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

आधिक्य व्यय इंगित करता है कि बजट यथार्थवादी नहीं था और सही मूल्यांकन के बाद तैयार नहीं किया गया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटन से अतिरिक्त व्यय न करे।

2.2.4 बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार अपने मूल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी और प्रत्येक वर्ष कई अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बचत हुई। इसी अवधि के दौरान समग्र बचत 19.96 प्रतिशत से 27.99 प्रतिशत के बीच रही, जबकि मूल प्रावधान से बचत 13.41 प्रतिशत से 19.53 प्रतिशत के बीच तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान अतिरिक्त थे और अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

तालिका 2.4: पिछले पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के समग्र बजट की बचत

वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	कुल बचत	कुल बचत प्रतिशत	मूल प्रावधान से बचत	मूल प्रावधान से बचत की प्रतिशत
2014-15	57,149.83	3,052.58	60,202.41	48,187.92	12,014.49	19.96	8,961.91	15.68
2015-16	67,545.90	6,793.63	74,339.53	54,353.86	19,985.67	26.88	13,192.04	19.53
2016-17	73,996.33	6,205.99	80,202.32	60,470.82	19,731.50	24.60	13,525.51	18.28
2017-18	80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	21.32	11,246.47	13.89
2018-19	87,463.61	17,706.90	1,05,170.51	75,733.43	29,437.08	27.99	11,730.18	13.41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.2.4.1 अनुदान और विनियोग के तहत बचत

कुल ₹ 29,437.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 27,276.13 करोड़ की बचत 48 मामलों में 38 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 92.66 प्रतिशत है। यह परिशिष्ट 2.3 में विस्तृत है। उनमें से 12 अनुदानों और दो विनियोग के तहत बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.2.4.2 योजनाओं के तहत बचत

विनियोग लेखापरीक्षा से पता चला कि 22 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 52 मामलों में ₹ 13,893.82 करोड़ की बचत हुई थी और प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत हुई जो कि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था। यह परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1,581 संचालित उप-शीर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत 56 योजनाओं में देखी गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिखाया गया है।

इन 56 योजनाओं के तहत कुल ₹ 48,495.62 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, लेकिन केवल ₹ 30,224.35 करोड़ खर्च किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,271.33 करोड़ की बचत हुई, जो समग्र बचत का 60.45 प्रतिशत है। बड़ी बचत विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

2.2.5 अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचत

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 25 अनुदानों के तहत 32 प्रकरणों में ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत और प्रत्येक मामले में बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दिखाया गया है। अनुदानों का बचत कुल बजट का 10.15 और 85.99 प्रतिशत के बीच थी जो इंगित करती है कि बजट यथार्थवादी नहीं था। चार मामलों में प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की लगातार बचत हुई। यह पहले की राज्य वित्त रिपोर्टों में बताया गया था, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।

2.2.6 उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया

कुल 31 अनुदानों के अंतर्गत 82 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के लिए किए गए ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के समग्र प्रावधान ₹ 3,456.04 करोड़ का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के तहत प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। वित्त विभाग को बजट प्रावधानों के साथ-साथ अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और अधिक न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.2.7 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

कुल 29 अनुदानों के अंतर्गत 33 प्रकरणों में, वर्ष में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान का योग ₹ 3,664.50 करोड़ था जो अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

ब) आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

नौ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 6,473.85 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 14,139.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की आधिक्य परिणामी बचत ₹ 7,665.39 करोड़ को **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

2.2.8 उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 21 अनुदानों के अंतर्गत 47 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 2,716.19 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

ब) आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

कुल 20 अनुदानों के अंतर्गत 50 प्रकरणों में ₹ 8,861.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 10,873.95 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में परिणामी बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक का कुल योग ₹ 2,012.61 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

स) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

कुल आठ अनुदानों के अंतर्गत नौ प्रकरणों में ₹ 123.42 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 61.38 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। प्रत्येक

प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की परिणामी कमी का कुल योग ₹ 62.04 करोड़ है जिसे परिशिष्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हो।

2.2.9 निधियों का आधिक्य/ अनावश्यक /अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

परिशिष्ट 2.13 में विस्तृत नौ अनुदानों के तहत 22 उपशीर्षों/योजनाओं में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 10 करोड़ से अधिक की आधिक्य/बचत थी। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन निकालने/जमा करने के बाद भी, अनुदानों में अंतिम बचत/आधिक्य थे।

2.2.10 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

कुल 19 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल बचत ₹ 6,987.83 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7,281.39 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 293.56 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

2.2.11 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

तीन अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत सात प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ परंतु सम्बंधित विभाग द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 1,847.65 करोड़ की राशि शामिल थी जो कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़ का 6.28 प्रतिशत है, जिसे परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 15 अनुदानों एवं एक विनियोग (समर्पण के बाद प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत) के तहत 22 प्रकरणों में ₹ 12,100.14 की बचत में से ₹ 764.33 करोड़ की प्रावधानित राशि (उपरोक्त बचतों का 6.32 प्रतिशत) का समर्पण नहीं किया गया जिसे परिशिष्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि, निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.2.12 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) की कण्डिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके विपरीत 22 मुख्य शीर्षों में 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 9,213.94 करोड़ का व्यय हुआ, फसल पालन (₹ 4,472.67 करोड़), सहकारिता (₹ 3,066.09 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 317.61 करोड़) जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 14,491.09 करोड़ का 63.58 प्रतिशत है जिसे परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिवेग सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम को बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिवेग समझदार वित्तीय प्रबंधन नहीं है और बजट मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ के आकस्मिकता निधि नियमावली 2001 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य को छोड़कर, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 9.80 करोड़ की राशि के आठ मामलों में से सात में (तालिका-2.5 के सरल क्रमांक 1 से 7 तक), व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम उद्देश्य अधिनियम का उल्लंघन था। विवरण तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	व्यय की प्राकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	अग्रिम राशि	आहरण माह
1	सामान्य प्रशासन विभाग	विकाश यात्रा प्रोग्राम, 2018	385.84	मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019
2	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	वेंचर कैपिटल फंड के सृजन के लिए	200.00	मई 2018
3		छत्तीसगढ़ नवाचार निधि के सृजन के लिए	100.00	मई 2018
4		उद्यमी कॉर्पस फंड के सृजन के लिए	200.00	मई 2018
5	कानून और विधान – सभा विभाग	छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के लिए नए वाहन की खरीद	18.09	जून 2018
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवजे के भुगतान के लिए कलेक्टरों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन	75.95	फरवरी 2019
7	गृह (जनगणना) विभाग	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डाटा एंट्री का काम	0.54	फरवरी 2019
8	वानिकी और वन्यजीव	आज्ञप्ति राशि का भुगतान	492.33	मार्च 2019
कुल			1,472.75	

अनुशांसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए।

तृतीय अध्याय
वित्तीय प्रतिवेदन

तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिए हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कुल ₹ 7,019.33 करोड़ मूल्य की कुल 534 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमें विभिन्न विभागों में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 30 दिसम्बर 2019 तक भी कुल ₹ 6,172.50 करोड़ मूल्य के 477 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 30 दिसम्बर 2019 की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निर्गत अनुदान	लंबित उ.प्र.प.*	लंबित उ.प्र.प. दिसम्बर 2019		
		विलंब	संख्या	राशि
2016-17 तक	सितम्बर 2017	दो वर्ष से अधिक	45	66.98
2017-18	सितम्बर 2018	एक वर्ष से अधिक	221	2,293.12
2018-19 के दौरान	सितम्बर 2019	03 माह	211	3,812.40
योग			477	6,172.50

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

* वैसे अनुदान जिसकी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है कि उ.प्र. पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्रेषित की जानी चाहिए।

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, नगरीय प्रशासन (₹ 2,165.67 करोड़ 227 उ.प्र.प.) गृहनिर्माण (₹ 2,047.55 करोड़ 19 उ.प्र.प.) एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 1,674.79 करोड़, 140 उ.प्र.प.) से संबंधित है।

सहायता अनुदान के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियत उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

अनुशांसा: राज्य सरकार को बिना विलंब किये उपयोगिता प्रमाण पत्र के समय पर प्रस्तुत किये जाने से जुड़ी आंतरिक नियंत्रक तंत्र को सही करना चाहिए एवं नवीन अनुदान जारी करने के पहले सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए।

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

वित्तीय नियम के अनुसार संक्षिप्त आकस्मिक देयकों को विस्तृत आकस्मिक देयकों के माध्यम से यथाशीघ्र समायोजित करना आवश्यक है ।

निकाले गए संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने का विवरण निम्न तालिका 3.2 में दिखाया गया है

तालिका- 3.2 आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के जमा करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयको का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19
2017-18	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95
2018-19	160	132.95	911	1,304.50	783	1,252.80	288	184.65

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19 और कार्यालय म.ले. (ले. एवं. ह.) द्वारा संकलित जानकारी)

31 मार्च 2019 की स्थिति में, ₹ 184.65 करोड़ के 288 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, जिसमें से 40 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹ 115.08 करोड़) एवं 248 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹ 69.57 करोड़) क्रमशः 2017-18 एवं 2018-19 से संबन्धित है । 2018-19 तक विभागवार लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक मुख्यतः सहकारिता विभाग (₹ 170.36 करोड़), ग्राम उद्योग विभाग (₹ 5.95 करोड़), उद्योग विभाग (₹ 4.89 करोड़), एवं समाज सुरक्षा एवं कल्याण विभाग (₹ 1.32 करोड़), से संबन्धित है। दीर्घकालीन समय से विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत नहीं किया जाना उनसे संबन्धित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अंतर्गत किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है । लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों में संख्यानुसार 80 प्रतिशत एवं राशिनुसार 38.89 प्रतिशत की वृद्धि दिखी है, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में आहरित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में संख्यानुसार (34 प्रतिशत) एवं राशिनुसार (66 प्रतिशत) कमी आई है ।

यद्यपि 16 जनवरी 2020 को, कुल लंबित 178 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 7.38 करोड़ थी जिसमें से क्रमशः ₹ 0.97 करोड़ की कुल 29 विस्तृत आकस्मिक देयक वर्ष 2017-18 एवं ₹ 6.41 करोड़ की कुल 149 विस्तृत आकस्मिक देयक वर्ष 2018-19 से संबन्धित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है ।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक न जमा किया जाए तो न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक धन और अस्वास्थ्यकर व्यवहार के दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ाता है ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें।

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये हैं, जिसमें से केवल चार स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2019 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ़ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014-15 से आगे	2016-17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	18 (2017-18) 06 (2018-19)
02	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 से आगे	2012-13 से 2014-15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	42 (2015-16) 30 (2016-17) 18 (2017-18) 06 (2018-19)
03	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007-08 से 2011-12	2007-08 से 2011-12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011-12 के बाद अप्रस्तुत

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा डीपीसी एक्ट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत दिनांक 5 मार्च 2019 को न्यासित किया गया। लेखापरीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रारंभ होगा।

अनुशांसा: प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2019 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 3.4 दर्शाया गया है:-

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तातरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	28	3	31
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	18	2	20
3	बकाया लेखे की संख्या	25	3	28
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	थनरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	थनरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	4	1	5
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	11	2	13
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1 से 2	1 से 4

(स्रोत:- कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

राज्य सरकार नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया। हालांकि अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई भी बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई। इस कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कंपनियों संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया हैं।

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होना:-

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को शासकीय द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूंजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.76 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 2.33 करोड़ (जिसमें से ₹ 2.25 करोड़ तथा ₹ 0.08 करोड़ क्रमशः छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार से संबंधित है) और ₹ 0.81 करोड़ (छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार की 50:50 हिस्सेदारी) करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया। मुख्य लाभ अर्जन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (लाभ ₹ 671.82 करोड़) व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (लाभ ₹ 106.83 करोड़) थे जिन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

3.5 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पुलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2019 की स्थिति में, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,061 लंबित मामलों में से निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.49 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार तथा श्रेणी-वार विभाजन **परिशिष्ट- 3.4** में दिया गया है। मामलों का वर्ष-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.5** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि की **तालिका 3.5** में दी गई है।

तालिका 3.5 हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	285	45.17			
5 – 10	507	60.02	चोरी	135	0.54
10 – 15	309	9.04	सम्पत्ति/सामग्री यों की हानि	1,855	119.54
15 – 20	179	2.58	गबन	71	5.41
20 – 25	227	4.82	लंबित प्रकरणों का योग	2,061	125.49
25 से अधिक	554	3.86			
योग	2,061	125.49			

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

कुल 2,061 प्रकरण में से वन विभाग में 431 प्रकरण तथा शिक्षा विभाग में 38 प्रकरण, 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,061 प्रकरण में से 349 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज हुए हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 16 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2018-19 के दौरान ₹ 6.43 लाख वसूल किया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3.6** में है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा ऐसे प्रकरणों के पुनरावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम-543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा खातों को जिसमें निधि संचित निधि को आकलित कर विशेष उद्देश्य हेतु खोले जाने के लिए अधिकृत है। व्यक्तिगत जमा खाते प्रशासकों के नाम से मुख्य शीर्ष 8443- सिविल जमा -106- व्यक्तिगत जमा के अधीन लेखे रखे जाते हैं।

वर्ष 2015-19 के दौरान राज्य में संचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका 3.6 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6 व्यक्तिगत जमा खातों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक की प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान प्राप्ति/योग		वर्ष के दौरान बंद लेखे/अदायगी		31 मार्च तक की अंत शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015-16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016-17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017-18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2018-19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10

(स्रोत:- संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

तालिका 3.6 से दर्शित होता है कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान कुल 17 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये तथा 98 खातों को बंद किया गया। आगे, 31 मार्च 2019 की स्थिति में 231 व्यक्तिगत जमा खाते संचालन में थे जिसका अंतःशेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ रहा।

आगे, राज्य सरकार ने मार्च 2019 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन राशि ₹ 0.50 करोड़ का आहरण किया तथा इसे व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया। इसका विवरण परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया है।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ में से भू-अर्जन की राशि ₹ 1,637.42 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ी रही। भू-अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय वार विवरण परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्य निदेशक, पेंशन एवं कोषालय लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर के ध्यान में लाया गया जबकि उत्तर अब तक अपेक्षित है (जनवरी 2020)।

3.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाता वित्त विभाग की सहमति से संधारण किया जा सकता है। मौजूदा नियमानुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

कोषालय के अभिलेखों का नमूना जाँच में यह पाया गया कि कुल 231 व्यक्तिगत जमा खातों में से 20 व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि ₹ 3.47 करोड़ था जो कि तीन वर्ष से अधिक असंचालित रहे तथा असंचालित लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने स्वीकार किया तथा बताया कि अंशचालित व्यक्तिगत जमा खाते के संबंध में संबंधित विभागों से संवाद कर इस पर कार्यवाही की जावेगी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।

3.7 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पत्ति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है।

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 अनुदान और सहायता अनुदान के वर्गीकरण के बारे में निर्धारित करता है कि अनुदान द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान को वर्गीकृत किया जाएगा और चाहे जो भी हो, अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरण में राजस्व व्यय के रूप में हिसाब लगाया जाएगा। वह उद्देश्य जिसके लिए निधियों का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजी शीर्ष के खाते में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के खंड 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजी शीर्ष या राजस्व शीर्ष किस तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत की जाने वाला व्यय को मोटे तौर पर स्थायी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाने और स्थायी चरित्र की बढ़ती हुई वस्तु के साथ किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर खर्च या स्थानीय निकाय या संस्थाओं को अनुदान पर खर्च संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और विशेषरूप से प्राधिकृत, उन मामलों को छोड़कर, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पूँजीगत शीर्ष डाला गया हो।

वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ शासन ने बजट प्रावधान किया और महालेखाकार की सहमति प्राप्त किये बिना पूँजी शीर्ष के तहत पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिये ₹ 1,998.74 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण किया। इसके अलावा ₹ 3.95 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, ₹ 0.21 करोड़ का रखरखाव कार्य और ₹ 0.85 करोड़ का कार्यालय व्यय राजस्व मुख्य शीर्ष के बजाय पूँजीगत मुख्य शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

3.8 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 3,057.79 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 1,054.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.7 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि का राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	1,998.74	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय को पूँजीगत शीर्ष में दर्ज किया गया {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	0.85	0.00	0.00	0.00
पेशेवर सेवा व्यय राजस्व के बदले पूँजी अनुभाग के तहत दर्ज किया गया {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	3.95	0.00	0.00	0.00
रख-रखाव व्यय को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष दर्ज करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v) , वित्त लेखा खंड -I}	0.21	0.00	0.00	0.00
पेंशन पर व्यय लेखों में शामिल नहीं करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 2(iv) , वित्त लेखा खंड -I}	399.82	0.00	0.00	399.82
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान का अहस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viii) (I) (a) (i), वित्त लेखा खंड -I}	139.00	0.00	0.00	139.00
ऋणशोधन निधि में कम अंशदान {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viii) (I) (b) (i), वित्त लेखा खंड -I}	164.54	0.00	0.00	164.54
अद्योसंरचना विकास उपकर का गैर हस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viii) (I) (b) (iv) (a) , वित्त लेखा खंड -I}	165.87	0.00	0.00	165.87
पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viii) (I) (b) (iv) (b) , वित्त लेखा खंड -I}	165.87	0.00	0.00	165.87
केन्द्रीय सड़क निधि के सहायता अनुदान का गैर हस्तान्तरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (ix) , वित्त लेखा खंड -I}	14.02	0.00	0.00	14.02
आकस्मिक निधि से अग्रिम का समायोजन नहीं होना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (ix), वित्त लेखा खंड -I}	4.92	0.00	0.00	4.92
कुल (शुद्ध) प्रभाव	3,057.79	0.00	0.00	1,054.04

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 3,057.79 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 1,054.04 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 683.76 करोड़ तथा ₹ 8,292.23 करोड़ वर्णित है, वास्तव में ₹ 2,374.03 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 9,346.27 करोड़ का राजकोषीय घाटा होंगे।

3.9 लघु शीर्ष-800 में समायोजन

लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है जो तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खाता को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं के कार्यक्रमों आदि को खुलासा नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

वित्त लेखा 2018-19 की जांच में पाया गया है कि संबंधित 44 मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 65,094.93 करोड़) का 4.22 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2,749.90 करोड़ को लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया था। 29 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत खातों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹ 13,653.63 करोड़ में से ₹ 2,677.56 करोड़ (19.61 प्रतिशत) शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 11 से 103 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है।

इसी प्रकार कुल व्यय ₹ 73,314.62 करोड़ का 1.41 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1,033.96 करोड़ को 47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया।

हमने यह भी देखा कि 13 मुख्य शीर्षों के खातों (राजस्व और पूंजी) के तहत ₹ 953.30 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹ 1,740.33 करोड़ का 54.79 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि परिशिष्ट-3.11 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में संबंधित लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

3.10 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित हैं:

3.10.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहरित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खातों में नहीं जमा की जाएगी और आहरित धन की तत्काल आवश्यकता न होने पर धनराशि सरकार के खाते में अभ्यर्पित की जानी चाहिए।

तीन आहरण एवं संवतरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2015-19 के विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 0.85 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में रखी गई जाकि तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8 सरकारी खाते के बाहर निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि संबंधित है	वर्ष	राशि
01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मस्तूरी, बिलासपुर	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना	2015-19	0.50
02	सहायक निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण, राजनांदगांव	ग्रामीण क्षेत्र खेल अभियान योजना	2017-18	0.24
03	खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.), बोल्डा, कबीरधाम	मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति, खेल निधि	2018-19	0.11
योग				0.85

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खातों में जमा किया गया। शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

अनुशंसा: शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा कोषालय संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विभागों को निर्देशित करना चाहिए।

3.10.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों के समायोजन तीन माह के अंदर वर्गीकृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 16.15 करोड़ अग्रिम के 1,008 मामलों समायोजन के लिए लंबित थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागवार और वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	2007-08 तक	182	0.11
2	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2008-09 से 2012-13	54	0.64
3	1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2013-14 से 2017-18	705	15.01
4	1 वर्ष तक	2018-19	67	0.39
योग			1,008	16.15

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

लंबित अग्रिम राशि ₹ 16.15 करोड़ जिसमें से ₹ 15.01 करोड़ विगत पाँच वर्षों से संबन्धित है, अग्रिमों के समायोजन में विभागीय अधिकारियों द्वारा संहिता के प्रावधानों के लागू करने में शिथिलता दर्शाती है।

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3.11 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष- 8443 सिविल जमा - 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप-शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

3.11.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि वर्ष 2015-16 से 2018-19 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 3.10 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
			नमांकन शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	बोर्ड के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2015-16	247.48	0.07	127.34	20.85	395.74	121.95	273.79
2	2016-17	273.79	0.15	172.71	19.76	466.41	183.92	282.49
3	2017-18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45
4	2018-19	273.45	0.95	199.71	19.99	494.10	193.57	300.53

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 193.57 करोड़ के कुल व्यय में से बोर्ड द्वारा ₹ 166.98 करोड़ (86 प्रतिशत) कल्याणकारी याजनाओं पर, ₹ 18.86 करोड़ (10 प्रतिशत) विभिन्न गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाओं, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठक व यात्रा पर और ₹ 7.73 करोड़ (चार प्रतिशत) स्थापना पर व्यय किया गया।

राज्य सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों को पेंशन, मातृत्व लाभ, घरों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता, छात्रों के लिए खेल में प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, शिक्षा/विवाह/कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता, एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण जैसी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का संचालन किया गया है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11 उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	संचालित योजना		योजना पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
2015-16	395.74	45	146.28	120.11	5,95,991	2,49,566	41.87	82.10	30.35
2016-17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017-18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.00
2018-19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,841	51.78	48.75	33.79

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मण्डल उपलब्ध धन का केवल 33.79 प्रतिशत का उपयोग कर सका और वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 52 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

उपलब्ध धन का उपयोग न करने के कारण के बारे में पूछने पर बोर्ड ने उत्तर दिया कि वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव के लिये आचार संहिता लागू होने के कारण धन का उपयोग नहीं किया जा सका।


इस प्रकार, ₹ 300.53 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये।

अनुशंसा: राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008-09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।


रायपुर
दिनांक : 30 जुलाई 2020



(दिनेश आर. पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त 2020



(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक — महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1 (भाग-अ)
(संदर्भ: कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य(पृष्ठ-1)
छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ-सामान्य आंकड़े

सं. क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़
3	क	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ख	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत)		39.9 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता ³ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (जैसा की वर्ष 2017 में)(प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत =33 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		48 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2012-16 संपूर्ण भारत का औसत = 68.70)		64.80
8	मानव विकास सूची ⁵ 2017(संपूर्ण भारत =0.643)		0.600
9	गिनी कोएफिशियन्ट		
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29)	0.28
	ब	शहरी (राष्ट्रीय=0.38)	0.33
10.	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶ (जी.एस.डी.पी) 2018-19 वर्तमान मूल्यों पर		3,11,660 करोड़ में
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19) सी.ए.जी.आर	सामान्य राज्य श्रेणी	10.99
		छत्तीसगढ़	8.43
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2011-12 से 2018-19)	सामान्य राज्य श्रेणी	12.23
		छत्तीसगढ़	10.18
13	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2009 से 2019)	सामान्य राज्य श्रेणी	12.46
		छत्तीसगढ़	13.28

ब. वित्तीय आंकड़े

सी.ए.जी.आर		विवरण		2017.18 जव 2018.19	
		2009-10 से 2017-18		2017.18 जव 2018.19	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
(प्रतिशत में)					
क.	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.03	12.77	9.13
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.84	17.09	12.72	10.42
ग.	कर भिन्न राजस्व का	9.88	9.61	19.78	21.49
घ.	कुल व्यय का	14.20	15.58	12.73	10.44
ङ.	पूजीगत व्यय का	13.53	13.96	11.93	(-)11.83
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	17.90	9.38	5.64
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	22.88	11.09	(-)1.77
ज.	मजदूरी एवं वेतन का	11.72	11.18	11.03	35.07
झ.	पेंशन का	16.12	15.56	14.31	38.36

(स्रोत : वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित है)

¹ जनसंख्या का घनत्व: जैसा कि एम.ओ.एस.पी.आई कीर वेब साइट से डाउनलोड किया गया है - तालिका 2.3 संख्यकीय वर्ष बुक 2018 ।

² गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या : आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (खंड - II), पृष्ठ संख्या ए-168-169, तालिका - 9.8 ।

³ साक्षरता दर : आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (खंड - II), पृष्ठ संख्या ए-164, तालिका - 9.4 ।

⁴ जन्म के समय शिशु मृत्यु दर और जिन प्रत्याश : आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (खंड - II), पृष्ठ संख्या ए-160, तालिका - 9.1 ।

⁵ एच.डी.आई: यु.एन.डी.पी द्वारा वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण से ।

⁶ सकल घरेलू उत्पाद का सी.ए.जी.आर तथा प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का : अनुलग्नक ई (बी) के अनुसार ।

⁷ छसकीय जनसंख्या वृद्धि : अनुबंध ई (ए) के अनुसार ।

परिशिष्ट-1.1 (भाग-ब)
(संदर्भ : कंडिका-1.1: पृष्ठ-1)
शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र

सरकार के लेखे की संरचना: राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते है।	
भाग (I) समेकित निधि: राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।	
भाग (II) आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।	
भाग (III) लोक लेखा: कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।	
भाग-स: वित्त लेखों की रूपरेखा वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।	
खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण-वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण-पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2019 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण-शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण-सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2018-19 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।
खण्ड-2 –विस्तृत विवरण (भाग – I)	
विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2018-19 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2019 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2019 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य

	संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण-संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।
भाग – II-परिशिष्ट	
I	मुख्यषीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं की जानकारी
V	योजनाओं में व्यय
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)
(ख)	राज्य योजनागत योजनाएं
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तर्शेषों का मिलान एवं स्वीकरण
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम
IX	राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण
XIII	राज्यों के पुनर्गठन-राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)

राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव (जी.एस.डी.पी)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,21,118	2,27,383	2,54,722	2,84,194	3,11,660
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
स्थिर भाव पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,85,813	1,91,020	2,07,326	2,18,539	2,31,820
स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.77	2.80	8.54	5.41	6.08

(स्रोत: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तीय जोड़ों की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदों की परिभाषा निम्नानुसार है:

मद	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि} / \text{पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं}) / 2] * 100$
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	$\text{ब्याज प्राप्ति} / [(\text{प्रारंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष}) / 2] * 100$
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान

परिशिष्ट - 1.3 (भाग - अ)
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)
वर्ष 2018-19 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				भुगतान			
2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
भाग-क-राजस्व							
59,647.07		राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	56,229.75		राजस्व व्यय	64,411.17
	19,894.68	कर राजस्व	21,427.26	12,870.41		सामान्य सेवायें	15,280.28
	6,340.42	कर-भिन्न राजस्व	7,703.02	24,371.59		समाजिक सेवायें	23,454.94
	20,754.81	संघीय करों में राज्य हिस्सा	23,458.69	11,844.56		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	12,511.95
	9,275.76	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	8,214.77	3,606.70		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,542.89
	1,460.23	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,679.48	5,898.63		जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4,460.30
	1,921.17	राज्यों को अन्य हस्तांतरण अनुदान	2,611.71	145.30		सूचना एवं प्रसार	240.67
				176.15		अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	142.62
				255.00		श्रम एवं श्रमिक कल्याण	227.13
				2,421.73		समाजिक कल्याण एवं पोषण	2,311.11
				23.52		अन्य	18.27
				17,623.09		आर्थिक सेवायें	24,780.79
				8,781.05		कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	18,020.02
				3,695.49		ग्रामीण विकास	2,433.17
				0.00		विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00
				62.18		संचार	50.15
				534.44		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	567.27
				2,635.18		ऊर्जा	2105.02
				856.25		उद्योग एवं खनिज	527.93
				943.24		परिवहन	1015.69
				8.33		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.73
				106.93		सामान्य आर्थिक सेवायें	55.81
				1,364.66		सहायता अनुदान एवं अंशदान	895.16
59,647.07		कुल राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	56,229.75		कुल राजस्व व्यय	64,411.17
	II	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा		3,417.32		अनुभाग -ख- में अग्रेषित राजस्व आधिक्य	683.76
59,647.07		योग	65,094.93	59,647.07		योग	65,094.93

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

भाग-ख-अन्य

प्राप्तियाँ		भुगतान	
2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
4,658.85	6,804.91	0.00	0.00
	स्थायी अग्रिमों सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष निवेश		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण
3.32	5.26	10,000.96	8,903.45
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		पूंजीगत व्यय
		303.33	255.52
		2,651.78	1,773.79
			सामान्य सेवायें
		667.69	490.37
		401.19	214.49
			शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		1,094.77	690.68
			जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास
		0.00	0.00
			सूचना एवं प्रसारण
		387.91	339.50
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण
		60.67	9.92
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण
		39.55	28.83
			अन्य सामाजिक सेवाएं
		7,045.85	6,874.14
			आर्थिक सेवायें
		84.26	86.90
			कृषि एवं संबंधित सेवायें
		655.53	588.68
			ग्रामीण विकास
		1,678.71	1,588.45
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
		824.81	594.99
			ऊर्जा
		64.76	20.45
			उद्योग एवं खनिज
		3,732.00	3,770.77
			परिवहन
		1.78	208.00
			विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
		0.00	2.13
			सामान्य आर्थिक सेवाएं
		4.00	13.77
			कृषि एवं संबंधित सेवायें
		10,000.96	8,903.45
			योग पूंजीगत व्यय
1.24	0.57	1.07	0.25
	अंतर्राज्यीय समाशोधन		अंतर्राज्यीय समाशोधन
138.59	162.32	368.76	240.44
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण
0.00	0.00	0.00	0.00
	विद्युत परियोजनाओं से		विद्युत परियोजनाओं हेतु
(-) 0.71	0.28	0.00	0.00
	सरकारी सेवकों से		सरकारी सेवकों को
139.30	162.04	368.76	240.44
	अन्य से		अन्य को
3,417.32	683.76	0.00	0.00
	लाया गया राजस्व अधिक्व		लाया गया राजस्व घाटा
9,652.44	14,370.10	999.88	1,145.89
	लोक ऋण प्राप्तियाँ		लोक ऋणों का पुनर्भगतान
0.00	0.00	0.00	0.00
	बाह्य ऋण		बहाय ऋण
9,187.89	13,816.66	827.74	953.27
	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण

प्राप्तियाँ				भुगतान			
2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00		0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00
464.55	अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन	553.44		169.96	172.14	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	192.62
0.00	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	0.00		2.29	0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00
0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00		0.00	0.00	आकस्मिकता निधि से व्यय	4.92
72,057.56	आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित	76,902.76		71,753.74		लोक लेखा संवितरण	76,356.85
1,435.87	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1,649.09		795.26		लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	894.58
1,224.59	आरक्षित निधियाँ	814.87		1,702.52		आरक्षित निधियाँ	650.08
55,354.33	उच्चत एवं विविध	60,462.40		55,405.07		उच्चत एवं विविध	6,048.97
10,003.60	प्रेषण	9,858.07		9,932.68		प्रेषण	9,980.50
4,039.17	निकष एवं अग्रिम	4,118.33		3,918.21		निकष एवं अग्रिम	4,349.72
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	0.00		6,804.91		वर्ष के अंत में रोकड़ शेष	12,277.88
				0.00		कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00
				637.60		रिजर्व बैंक के पास निकष	320.72
				10.62		स्थयी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	12.83
				6,156.69		रोकड़ शेष निवेश	11,944.33
89,929.32	योग	98,929.68		89,929.32		योग ब	98,929.68

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – ब)

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1, 1.9.1 और 1.9.2 : पृष्ठ-1 एवं 25)

छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 की स्थिति	दायित्व		31.03.2019 की स्थिति
36,690.44	आंतरिक ऋण	49,553.83	
26,550.00	ब्याज सहित बजार ऋण		39,450.00
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण		2.10
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण		20.29
10,118.04	अन्य संस्थाओं से ऋण		10,081.44
0.00	अर्थोपाय अग्रिम		0.00
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण		0.00
2,339.57	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,700.39	
0.69	1984-85 से पूर्व के ऋण		0.69
1.09	आयोजनेत्तर ऋण		0.56
1,873.53	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण		1,681.69
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण		0.19
-0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण		0.00
464.30	विधायिका योजनाओं वाले राज्य के लिए अन्य ऋण		1,017.26
100.00	आकस्मिकता निधि	100.00	
6,075.40	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	6,832.41	
6,238.73	निक्षेप	6,007.34	
3,648.78	आरक्षित निधियाँ	3,840.85	
114.07	उचंचत एवं विविध शेष	96.78	
55,207.00	योग	69,131.60	
73,729.48	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय	84,332.15	
6,866.37	कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश		7,125.84
66,863.11	अन्य पूंजीगत व्यय		77,206.31
1,172.15	ऋण एवं अग्रिम	1,597.75	
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण		
882.16	अन्य विकास ऋण		
181.28	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण		
2,085.84	आरक्षित निधि में निवेश	2,185.31	
1.74	टग्रिम	1.74	
236.66	प्रेषण शेष	359.09	
0.00	आकस्मिकता निधि	4.92	
4,719.07	नगदी	10,092.57	
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		0.00
637.60	रिजर्व बैंक में निक्षेप		320.72
10.28	विभागीय नगदी शेष अचल		12.49
0.34	स्थायी अग्रिम		0.34
4,070.85	नगदी शेष निवेश		9,759.02
26,737.94	सरकारी लेखे में घाटा	- 29,441.93	
-3,417.32	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य		-683.76
819.95	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन		-2,020.23
-24140.57	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा		-26,737.94
55,207.00	योग	69,131.60	

परिशिष्ट – 1.4
(संदर्भ: कडिका-1.1.3 : पृष्ठ-6)
वर्ष 2018-19 के लिये बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट प्रावधान 2017-18	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
राजस्व प्राप्ति	72,867.97	65,094.93	-7,773.04	-10.67
स्वयं कर राजस्व	26,030.00	21,427.26	4,602.74	-17.68
ब्यापार, विक्रय आदि पर कर	37,18.42	4,087.72	369.30	9.93
राज्य उत्पाद शुल्क	4,355.00	4,489.03	134.03	3.08
वाहन पर कर	1500.00	1,204.85	-295.15	-19.68
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	1,790.00	1,108.46	-681.54	-38.07
यात्री एवं वस्तु पर कर	5.62	54.51	48.89	869.93
भू-राजस्व	660.00	487.57	-172.43	-26.13
विद्युत पर शुल्क एवं कर	1,850.00	1,790.27	-59.73	-3.23
अन्य कर	12,150.96	8,204.85	-3,946.11	-32.48
गैर कर राजस्व	8,170.00	7,703.02	-466.98	-5.72
केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	22,954.97	23,458.69	503.72	2.19
भारत सरकार से सहायक अनुदान	15,713.00	12,505.96	-3,207.04	-20.41
पूंजीगत प्राप्तियां	10,228.16	14,537.68	4,309.52	42.13
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	314.02	162.32	-151.70	-48.31
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	5.26	5.26	0.00
शुद्ध लोक ऋण	9,314.14	14,370.10	5,055.96	54.28
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां	600	547.65	-52.35	-8.73
राजस्व व्यय	68,422.62	64,411.17	-4,011.45	-5.86
सामान्य सेवार्ये	16,620.52	15,280.28	-1,340.24	-8.06
राज्य के अंग	655.74	568.05	-87.69	-13.37
वित्तिय सेवार्ये	1,247.34	705.37	-541.97	-43.45
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	4,067.55	3,752.55	-315.00	-7.74
प्रशासकीय सेवार्ये	5,290.02	4,825.21	-464.81	-8.79
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवार्ये	5,359.89	5,428.50	68.61	1.28
समाजिक सेवार्ये	28,108.09	23,454.94	-4,653.15	-16.55
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	14,385.31	12,511.95	-1,873.36	-13.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,275.57	3,542.89	-732.68	-17.14
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,334.70	4,460.30	-874.40	-16.39
सूचना एवं प्रसारण	239.88	240.67	0.79	0.33
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	290.62	142.67	-147.95	-50.91
श्रम एवं श्रम कल्याण	376.18	227.13	-149.05	-39.62

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

विवरण	बजट प्रावधान 2017-18	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
सामाजिक कल्याण और पोषण	3,174.82	2,311.11	-863.71	-27.21
अन्य	31.01	18.27	-12.74	-41.08
आर्थिक सेवायें	22,543.69	24,780.79	2,237.10	9.92
कृषि एवं समवर्गी सेवायें	11,407.86	18,020.02	6,612.16	57.96
ग्रामीण विकास	3,825.48	2,433.17	-1,392.31	-36.40
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	487.47	567.27	79.80	16.37
ऊर्जा	3,593.01	2,105.02	-1,487.99	-41.41
उद्योग एवं खनिज	975.40	527.93	-447.47	-45.88
यातायात	2,001.77	1,015.39	-986.38	-49.28
संचार	138.66	50.15	-88.51	-63.83
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	18.21	5.73	-12.48	-68.53
सामान्य आर्थिक सेवायें	95.83	55.81	-40.02	-41.76
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,150.31	895.16	-255.15	-22.18
पूँजीगत व्यय जिसमें	14,453.93	8,903.45	-5,550.48	-38.40
सामान्य सेवायें	534.03	255.52	-278.51	-52.15
सामाजिक सेवायें	3,911.06	1,773.79	-2,137.27	-54.65
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	967.21	490.37	-476.84	-49.30
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	582.64	214.49	-368.15	-63.19
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,782.52	690.68	-1,091.84	-61.25
सूचना तथा प्रसार	0.05	0.00	-0.05	-100.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	474.83	339.50	-135.33	-28.50
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	52.86	9.92	-42.94	-81.23
अन्य सामाजिक सेवाएं	50.95	28.28	-22.67	-44.49
आर्थिक सेवाएं	10,008.84	6,874.14	-3,134.70	-31.32
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	171.52	86.90	-84.62	-49.34
ग्रामीण विकास	639.32	588.68	-50.64	-7.92
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,689.90	1,588.45	-1,101.45	-40.95
ऊर्जा	651.79	464.99	-186.80	-28.66
उद्योग एवं खनिज	71.85	20.45	-51.40	-71.54
परिवहन	5,208.75	3,770.77	-1,437.98	-27.61
ब्यउउनदपबंजपवद	540.00	208	-332.00	-61.48
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	4.00	2.13	-1.87	-46.75
सामान्य आर्थिक सेवाएं	31.70	13.77	-17.93	-56.56
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	4,445.35	683.76	-3,761.59	-84.62
राजकोषीय घाटा (-)	9,997.27	8,292.23	-1,705.04	-17.06
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	6,249.82	4,639.63	-1,610.19	-25.76

परिशिष्ट – 1.5
(संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ-7)
वर्ष 2018-19 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

₹ करोड़ में

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत / आधिक्य
1	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश	1.50	0.00	-0.22	1.50	1.28	0.00
2	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोकस्वास्थ्य का एकीकरण	41.28	0.35	-23.92	41.63	17.70	-0.01
3	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	-0.61	1.50	0.89	0.00
4	स्पनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	-0.02	0.06	0.04	0.00
5	कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	8.48	0.00	-5.33	8.48	3.15	0.00
6	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	1.29	0.00	-1.29	1.29	0.00	0.00
7	हाईस्कूल छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	65.00	0.00	-42.20	65.00	22.80	0.00
8	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	-7.99	13.00	5.01	0.00
9	समारोह हेतु अनुदान	15.20	19.00	-11.60	34.20	22.60	0.00
10	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	-1.45	1.45	0.00	0.00
11	मितानिन कल्याण निधि	101.57	66.81	-58.95	168.38	109.43	0.00
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	60.48	0.00	-3.21	60.48	56.96	-0.31
13	सबला योजना	35.34	0.00	-24.19	35.34	11.15	-0.01
14	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण	29.25	13.93	-17.73	43.18	25.45	0.00
15	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	300.00	0.00	-153.22	300.00	146.78	0.00
16	कन्या शिक्षा परिसर	12.13	2.97	-2.88	15.10	13.62	1.40
17	महतारी जतन योजना	25.00	0.00	-2.92	25.00	22.12	0.04
18	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,354.19	1,269.17	-1,277.62	3,623.36	2,345.67	-0.06
20	सुचित्रा योजना	10.00	0.00	-10.00	10.00	0.00	0.00
21	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	23.15	0.00	-9.11	23.15	14.06	0.02
22	असंगठित सफाई कर्मगार कल्याण मंडल	10.00	0.59	-7.22	10.59	3.37	0.00
23	ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	10.00	6.33	-10.19	16.33	6.14	0.00
24	न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम विशेष पोषाण अभियान	735.44	0.00	-327.15	735.44	408.20	-0.09
25	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	12.00	0.00	-11.60	12.00	0.40	0.00
योग		3,887.31	1,379.15	-2,010.62	5,266.46	3,256.82	0.98

परिशिष्ट – 1.6

(संदर्भ: कडिका-1.3, 1.3.1 एवं 1.4: पृष्ठ- 9,10 एवं 15)
राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण

₹ करोड़ में

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग अ – प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	37988(85)	46068(86)	53685(90)	59647(86)	65095 (82)
(i)स्वयं कर राजस्व	15707(41)	17075 (37)	18945(35)	19895(33)	21427(33)
कृषि आय पर कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विक्रय पर कर, व्यापार आदि	8429(54)	8908(52)	9927(52)	6450(32)	4088(19)
राज्य आबकारी	2892(18)	3338(20)	3444(18)	4054(20)	4489(21)
वाहनों पर कर	703(04)	829(05)	985(5)	1180(6)	1205(06)
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	1023(07)	1185(07)	1211(6)	1197(6)	1108(05)
भू-राजस्व	332(02)	364(02)	504(3)	446(2)	488(02)
वस्तु एवं यात्री कर	982(06)	1040(06)	1340(7)	478(2)	54(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	0	4387(22)	8203(38)
अन्य कर	1346(09)	1411(08)	1534(8)	1703(09)	1792(08)
(ii)गैर कर राजस्व	4930(13)	5215(11)	5669(11)	6340(11)	7703(12)
(iii)केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	8363(22)	15716(34)	18809(35)	20755(35)	23459(36)
(iv)भारत सरकार द्वारा दिया गया सहायक प्राप्तियाँ	8988(24)	8062(18)	10262(19)	12657(21)	12506(19)
2.विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	03	03	02	03	05
3.ऋण एवं अग्रिम की वसूली	195	296	173	138	162
3(अ).अन्तर्राज्यीय समशोधन	01	01	00	01	01
4.कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	38187	46367	53860	59789	65263
5.लोक ऋण प्राप्तियाँ	6440 (14)	7251(14)	5480(9)	9652(14)	14370(18)
आंतरिक ऋण	6431	7106	5098	9188	13817
शुद्ध लेनदेन
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	9	145	382	465	553
6.संचित निधि की कुल प्राप्तियाँ	44627	53618	59340	69441	79634
7.आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ (6+7+8)	0	0	60	0	0
8.लोक लेखे प्राप्तियाँ	51322	55059	62694	72058	76903
9.राज्य की कुल प्राप्तियाँ	95949	108677	122094	141499	156537
भाग ख : व्यय/भुगतान					
10.राजस्व व्यय	39561(85)	43701(84)	48165(83)	56230(84)	64411(88)
सामान्य सेवायें	9041(23)	10409(24)	11496(24)	12870(23)	15280(24)
समाजिक सेवायें	15389(39)	16339(37)	21342(44)	24372(43)	23455(37)
आर्थिक सेवायें	14152(36)	16053(37)	14176(29)	17623(31)	24781(39)
सहायक अनुदान एवं अशंदान	979(02)	900(02)	1151(02)	1365(02)	895(01)
11.पूँजीगत व्यय	6544(14)	7945(15)	9471(16)	10001(15)	8903(12)
सामान्य सेवायें	258(4)	362(05)	188(1.99)	303(3)	255(03)
समाजिक सेवायें	1560(24)	1807(23)	2461(26)	2652(27)	1774(20)
आर्थिक सेवायें	4727(72)	5776(73)	6822(72)	7046(70)	6874(77)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	89	165	273	369	240
12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन	01	00	00	01	00
13. योग (10+11+12+12(अ))	46195	51811	57909	66600	73555
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1337(3)	1250(02)	1153(02)	1000(1)	1146(1)
आंतरिक ऋण	1180(88)	1086(87)	983(85)	828(83)	953(83)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	157(12)	164(13)	170(15)	172(17)	193(17)
15. आकस्मिकता निधि में पुर्नविनियोजन	00	00	60	00	00
16. संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)	47532	53061	59122	67600	74700
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	00	00	00	00	05
18. लोक लेखे से भुगतान	49933	54001	61149	71754	76357
19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)	97465	107062	120271	139354	151057
भाग ग - कमी					
20. राजस्व कमी(-)(1-10)/आधिक्य (+)	(-)1573	2367	5521	3417	684
21. वित्तिय कमी (-) आधिक्य(+)(4-13)	(-)8008	(-)4574	(-)4047	(-)6810	(-)8292
22. प्राथमिक कमी(-) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-)6281	(-)2425	(-)1360	(-)3712	(-)4640
भाग घ - अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय के साथ)	1727	2149	2687	3098	3652
24. अर्थोपाय अग्रिम / ओव्हरड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
ओव्हरड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम / ओव्हरड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	221118	227383	254722	284194	311660
27. वर्षान्त पर देयतार्य	30981	37741	44258	52936	66750
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभुतियां (गारंटियां)	2314	1988	3983	3882	10769
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	9080	14883	12641	6550	19574
30. अधूरे परियोजना की संख्या	167	194	145	110	107
31. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूंजी	4824	5912	5937	4067	4365
भाग-ड - वित्तीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचलन					
स्वयं कर राजस्व / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
स्वयं गैर कर राजस्व / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
केंद्रीय कर हस्तांतरण / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08
2. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.2	0.2	0.2	0.23	0.24
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.22	1.12	1.08	1.12	1.13
राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.86	0.84	0.83	0.84	0.88
पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.14	0.15	0.16	0.15	0.12

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.14	0.15	0.16	0.15	0.66
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.01	0.01	0.02	0.012	0.002
राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य (+)/स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.027
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य/स.रा.घ.उ.(अनुपात)	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00	(-)0.01	(-)0.015
राजस्व घाटा/आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.2	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50	(-)0.082
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/ स.रा.घ.उ.(अनुपात)	0.13	0.14	0.15	0.18	0.21
राजकोषीय देनदारियाँ/राजस्व प्राप्तिर्याँ (अनुपात)	0.82	0.82	0.81	0.89	1.03
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.05	0.09	0.01	0.07	0.02
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.36	1.47	1.53	1.48	1.43

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कंडिका-2.2.1, पृष्ठ 34)
अनुदानों/विनियोगों के अतर्गत आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	राशि की आधिक्य
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 और 83	115.9
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान और 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 और 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	4 अनुदान	23, 33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75, 82 और ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1, 20, 23, 29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06, 12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06, 19, 33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6, 12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज भुगतान	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06, 55 ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	11.46
2017-18	3 अनुदान	06,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14, 33 और 55	0.37
योग			3,260.16

(स्रोत: विनियोग लेखे 2000-01 से 2017-18)

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कंडिका-2.2.3, पृष्ठ 35)

योजनायें जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक आधिक्य व्यय हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	वित्त	06-2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	5.00	22.79	17.79
2	वित्त	06-2071-01-104-4590-सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	500.00	587.37	87.37
3	वित्त	06-2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	775.00	834.70	59.70
4	वित्त	06-2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	150.00	221.89	71.89
5	वित्त	06-2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान	490.00	757.00	267.00
6	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7620-उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.01	35.15	35.14
7	ऊर्जा	12-4801-06-800-0410-6758-कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	50.00	49.99
8	कृषि	13-2401-102-0101-7931-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	60.00	74.55	14.55
9	सहकारिता	17-6425-108-0101-5055-सहकारी शक्कर कारखाना	20.00	110.00	90.00
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.88	81.71	14.83
11	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	24-5054-03-101-0101-4151-वृहद पुलों का निर्माण	120.00	140.25	20.25
12	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	24-5054-04.337-0101-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	90.00	120.88	30.88
13	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	30-5054-04-337-0311-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	54.72	66.93	12.22
14	लोक स्वास्थ्य	41-2210-03-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	64.55	86.94	22.39
15	लोक स्वास्थ्य	41-2210-03-198-0102-620- उप स्वास्थ्य केन्द्र	34.55	60.89	26.34
16	ऊर्जा	41-2801-80-101-0102-7620- उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.01	26.72	26.71
17	ऊर्जा	41-4801-06-800-0410-6758- कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	38.00	37.99
18	राजस्व	58-2245-80-800-7729- डुबने से, धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	23.60	43.46	19.86
19	ऊर्जा	64-4801-06-800-0410-6758- कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	12.00	11.99
20	लोक निर्माण कार्य-भवन	67-2059-60-053-7755- अतिविशिष्ट अतिथियों	50.00	98.03	48.03
21	लोक निर्माण कार्य-भवन	67-4202-03-102-0101-5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास-स्टेडियम आदि	29.52	49.19	19.67
22	जल संसाधन विभाग	75-4702-101-0311-9469- नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत	65.00	87.40	22.40
योग			2598.87	3605.85	1006.99

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4., पृष्ठ 36)

अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मांग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
अ-राजस्व दत्तमत					
1	3	पुलिस	4317.44.	616.89	14.28
2	6	वित्त विभाग	6718.11	942.3	14.02
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1044.8	389.97	37.32
4	10	वन	1069.13	314.54	29.42
5	12	ऊर्जा विभाग	2080.69	1077.72	51.79
6	13	कृषि	5628.89	553.13	9.82
7	14	पशुपालन विभाग	501.7	158.26	31.54
8	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	607.04	395.15	65.09
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2197.32	491.12	22.35
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	394.32	135.06	34.25
11	23	जल संसाधन विभाग	588.88	105.08	17.84
12	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1597.77	802.96	50.25
13	25	खनिज संसाधन विभाग	342.55	188.45	55.01
14	27	स्कूल शिक्षा	3912.01	663.64	16.96
15	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	537.15	104.09	19.37
16	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3861.83	1592.95	41.24
17	33	आदिम जाति कल्याण	3134.23	179.34	5.72
18	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2273.7	328.53	14.44
19	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16976.9	3907.94	23.01
20	44	उच्च शिक्षा	664.16	103.89	15.64
21	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	371.95	145.16	39.02
22	55	महिला एवं बाल कल्याण	1034.96	499.51	48.26
23	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	608.64	152.9	25.12
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5514.23	1271.74	23.06
25	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	256.29	101.77	39.70
26	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	1060.76	311.46	29.36
27	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	618.29	183.13	29.61
28	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4200.48	1875.43	44.64
29	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2277.05	912	40.05
30	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1913.65	1079.57	56.41
योग - अ			76304.92	19583.68	

स. क्र.	मांग संख्या	मांग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
ब- पूंजीगत दत्तमत					
31	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	340.43	253.05	74.33
32	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	695.53	498.27	71.63
33	23	जल संसाधन विभाग	488.15	146.35	29.98
34	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1656.79	475.6	28.70
35	25	खनिज संसाधन विभाग	415.68	329.11	79.17
36	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	700.89	101.47	14.47
37	40	आयाकट विभाग	261.00	249.62	95.63
38	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3265.76	1267.63	38.81
39	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1082.19	265.56	24.53
40	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	395.80	127.04	32.09
41	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1566.79	684.26	43.67
42	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	675.83	361.18	53.44
43	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	563.40	459.4	81.54
44	75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	700.00	240.01	34.28
45	76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	775.60	315.26	40.64
46	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	610.61	425.61	69.70
योग - ब			14194.45	6199.42	
स- राजस्व भारित					
47	CH -1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4304.56	575.56	13.37
योग - स			4304.56	575.56	
द- पूंजीगत भारित					
48	CH-2	लोक ऋण	2063.37	917.47	44.46
योग - द			2063.37	917.47	
कुल योग			96867.30	27276.13	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 36)

विनियोगों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	गृह	03-2055-109-4491-सामान्य व्यय-(जिला स्थापना)	2072.27	1797.77	274.50	13.25
2	गृह	03-2055-115-0600-7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	160.00	106.64	39.99
3	वित्त	06-2071-01-101-2413-निवृत्त वेतन भोगियों को देय	3400.00	2969.24	430.76	12.67
4	वित्त	06-2435-60-101-0101-8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	1223.47	249.86	973.61	79.58
5	राजस्व	08-2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	0.00	125.40	100.00
6	राजस्व	08-4059-80-051-0510-7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	210.00	4.99	205.01	97.62
7	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7305-पांच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	1773.65	818.23	955.42	53.87
8	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	100.00	0.00	100.00	100.00
9	पंचायती राज	15-2202-01-197-0103-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	377.00	108.83	268.17	71.13
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-200-0701-6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	178.00	67.23	110.77	62.23
11	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	432.00	109.70	322.30	74.61
12	लोक निर्माण	24-3054-04-337-2227-नवीनीकरण	450.00	168.10	281.90	62.64
13	लोक निर्माण	24-3054-04-337-7510-ग्रामीण मार्गों का संधारण	436.00	152.62	283.38	65.00
14	लोक निर्माण	24-5054-05-337-0101-7818-ई.पी.सी (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन)	350.00	0.00	350.00	100.00
15	खनिज संसाधन	25-2853-02-797-5390-5390-खनिज निधि में अंतरण	299.46	118.00	181.46	60.60
16	खनिज संसाधन	25-4853-01-004-0420-7794-परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	285.21	0.00	285.21	100.00
17	स्कूल शिक्षा	27-2202-02-109-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	250.00	3.12	246.88	98.75
18	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	400.00	151.48	248.52	62.13
19	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1811.65	1079.46	732.19	40.42
20	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	723.56	384.24	339.32	46.90
21	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-3054-04-105-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	400.00	260.36	139.64	34.91
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-101-0701-7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	207.97	31.84	176.13	84.69
23	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0101-8933-शक्कर वितरण योजना	100.00	0.00	100.00	100.00
24	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	40-4705-209-0701-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	245.00	0.00	245.00	100.00
25	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-109-0702-8979-एकीकृत अम्बेला योजना	213.20	110.24	102.96	48.29
26	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-111-0702-5396-सर्व शिक्षा अभियान	570.00	421.39	148.61	26.07
27	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-02-109-0702-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	200.00	2.13	197.87	98.94
28	आदिवासी क्षेत्र	41-2215-02-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	304.00	193.40	110.60	36.38
29	आदिवासी क्षेत्र	41-2216-03-105-0702-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1376.85	854.29	522.56	37.95
30	आदिवासी क्षेत्र	41-2236-02-101-0702-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	259.30	152.19	107.11	41.31

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
31	आदिवासी क्षेत्र	41-2408-01-102-0102-7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	450.00	294.16	155.84	34.63
32	आदिवासी क्षेत्र	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	549.90	292.02	257.88	46.90
33	आदिवासी क्षेत्र	41-2801-06-101-0102-7305-5 एच.पी. कृषि पम्पों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	717.92	536.62	181.30	25.25
34	आदिवासी क्षेत्र	41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03	0.00	116.03	100.00
35	आदिवासी क्षेत्र	41-4702-102-0102-7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण	132.50	28.80	103.70	78.26
36	आदिवासी क्षेत्र	41-5275-101-0102-7861-संचार क्रांति योजना	412.98	79.04	333.94	80.86
37	लोक निर्माण	42-5054-05-337-0102-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	416.00	270.40	145.60	35.00
38	महिला एवं बाल कल्याण	55-2235-02-102-0701-9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	267.37	125.39	141.98	53.10
39	महिला एवं बाल कल्याण	55-2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	336.18	205.36	130.81	38.91
40	अनुसूचित जाति	64-2202-02-109-0703-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	174.00	1.00	173.00	99.43
41	अनुसूचित जाति	64-2801-06-101-0103-7305-5 एच.पी. कृषि पम्पों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	484.11	290.46	193.65	40.00
42	अनुसूचित जाति	64-5054-05-337-0103-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	391.00	253.40	137.60	35.19
43	अनुसूचित जाति	64-5275-101-0103-7861-संचार क्रांति योजना	130.41	24.96	105.45	80.86
44	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	69-2217-80-191-0701-7706-अमरीत योजना	341.76	157.08	184.68	54.04
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-5275-101-0101-7861-संचार क्रांति योजना	543.40	104.00	439.40	80.86
46	लोक निर्माण विभाग	76-5054-03-337-1201-7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-2	373.58	174.99	198.59	53.16
47	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2202-01-197-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1142.27	461.40	680.87	59.61
48	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2202-02-196-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	400.00	177.53	222.47	55.62
49	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2515-198-7675-14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1296.39	661.31	635.08	48.99
50	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-3604-191-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	846.39	480.88	365.51	43.18
51	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-3604-192-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	279.64	159.13	120.51	43.09
52	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-191-0101-7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	198.01	0.00	198.01	100.00
योग			29040.47	15146.64	13893.82	47.84

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4.2 पृष्ठ 36)

बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत ₹100 करोड़ से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7
1	1400	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	266.06	121.46	144.60
2	1473	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला चिकित्सालय	370.32	238.74	131.58
3	2227	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	नवीनीकरण	520.00	236.83	283.17
4	2413	वित्त	सेवा निवृत्त वेतन भोगियों को देय	3400	2969.24	430.76
5	2898	जल संसाधन	बांध तथा संलग्न काय	284.95	131.56	153.39
6	3673	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	राज्य छात्रवृत्तियाँ	343.70	186.48	157.22
7	4491	गृह	सामान्य व्यय-(जिला स्थापना)	2077.91	1798.13	279.79
8	4855	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	1460.40	1269.29	191.11
9	5059	जल संसाधन	एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण	312.00	139.61	172.39
10	5371	आवास एवं पर्यावरण	नया रायपुर विकास प्राधिकरण	597.50	178.73	418.77
11	5390	खनिज संसाधन	खनिज निधि में अंतरण	299.46	118.00	181.46
12	5396	स्कूल शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	1500.00	1260.81	239.19
13	5403	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	200.10	96.23	103.88
14	5516	जल संसाधन	वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	548.20	327.19	221.01
15	5628	वित्त	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	206.26	68.35	137.91
16	5904	स्कूल शिक्षा	पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	110.00	0.49	109.51
17	6299	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	155.62	29.24	126.38
18	6728	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1419.75	765.67	654.08
19	6754	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	0.00	125.40
20	6884	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1011.00	819.55	191.45
21	6960	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	315.70	105.89	209.81
22	7241	शहरी प्रशासन और विकास	नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	549.31	194.71	354.61
23	7242	कृषि, मछली पालन, पशुपालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	248.47	89.36	159.11
24	7247	स्कूल शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	674.00	6.24	667.76
25	7305	ऊर्जा	5 एच.पी. कृषि पम्पों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	2975.68	1645.31	1330.37
26	7350	कृषि	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	200.00	86.19	113.81
27	7353	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	184.00	76.93	107.07
28	7422	जल संसाधन	आद्योगिक जल संरचना निर्माण	205.79	87.80	118.00
29	7433	लोक निर्माण	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	775.60	458.76	316.84

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	ब्यत
30	7436	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	450.00	294.16	155.84
31	7490	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	300.00	146.78	153.22
32	7510	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	ग्रामीण मार्गों का संधारण	436.00	152.62	283.38
33	7610	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	स्वच्छ भारत अभियान	995.17	579.36	415.81
34	7626	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	328.77	165.27	163.50
35	7675	शहरी प्रशासन और विकास	14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1728.93	888.78	840.15
36	7693	ऊर्जा	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	635.96	535.26	100.70
37	7706	शहरी प्रशासन और विकास	अमरीत योजना	415.68	231.00	184.68
38	7794	खनिज संसाधन	परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	285.20	0.00	285.21
39	7807	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3623.35	2345.67	1277.68
40	7818	लोक निर्माण	ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग प्रोक्च्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	1157.00	523.80	633.20
41	7860	भू-राजस्व	अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	438.00	186.65	251.35
42	7861	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	संचार क्रांति योजना	1086.79	208.00	878.79
43	7872	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	207.97	31.84	176.13
44	7907	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति (आई.एस.बी.आई.)	245.00	0.00	245.00
45	7918	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	160.00	106.64
46	7921	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	200.00	70.28	129.72
47	7943	वित्त	मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी	100.00	0.00	100.00
48	8018	जल संसाधन	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	1375.20	791.52	583.68
49	8403	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	2189.80	928.59	1261.21
50	8671	गृह	लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	1223.47	249.86	973.61
51	8914	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	विद्युत कम्पनियों को सहायता	200.00	0.00	200.00
52	8933	जल संसाधन	शक्कर वितरण योजना	200.00	0.00	200.00
53	8972	आवास एवं पर्यावरण	धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	7591.50	7370.03	221.47
54	8979	खनिज संसाधन	एकीकृत अम्बेला योजना	216.65	110.24	106.41
55	9044	स्कूल शिक्षा	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	525.92	339.65	186.28
56	9050	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	735.44	408.20	327.24
योग				48495.62	30224.35	18271.33

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.5: पृष्ठ 37)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹20 करोड़ से अधिक तथा ₹10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
राजस्व दत्तमत							
1	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	176.7 32.46	113.08 16.89	195.65 19.47	203.01 19.77	389.98 37.33
2	14	पशुपालन विभाग	61.21 19.16	51.25 14.6	113.26 27.01	74.58 17.15	158.26 31.54
3	18	श्रम	60.55 52.68	43.61 37.06	51.93 39.38	41.98 30.8	77.17 39.69
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	241.13 19.47	189.76 14.44	288.37 16.89	218.18 11.57	491.13 22.35
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	90.03 19.21	50.24 12.80	83.39 23.2	91.53 24.4	135.06 34.25
6	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	44.96 40.09	114.49 73.25	88.78 50.14	75.86 56.24	93.26 59.61
7	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	222.76 29.78	314.73 29.46	354.8 38.08	322.15 28.37	802.96 50.26
8	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	86.34 28.74	62.26 22.71	102.42 32.39	81.2 24.99	104.09 19.38
9	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	748.51 33.30	1133.54 46.97	669.16 19.61	532.91 13.8	1592.95 41.25
10	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	665.56 30.60	1615.27 30.31	456.75 21.63	464.58 24.84	328.53 14.45
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2393.7 28.82	3146.19 32.93	2807.58 27.47	2429.12 18.39	3907.94 23.02
12	43	खेल और युवा कल्याण	43.23 74.27	73.79 65.67	73.95 77.36	52.88 74.53	55.12 81.24
13	44	उच्च शिक्षा	186.97 32.90	132.05 22.2	222.87 33.63	114.6 16.79	103.89 15.64
14	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	108.35 37.88	335.89 56.73	175.41 34.07	89.79 23.29	145.16 39.03
15	55	महिला एवं बाल कल्याण	229.20 28.01	286.11 31.51	318.72 33.05	261.18 28.08	499.51 48.26
16	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	932.09 30.94	1148.1 34.79	794.37 22.65	733.5 16.29	1271.74 23.06
17	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	48.05 23.5	60.12 27.73	42.22 14.22	57.67 24.65	101.78 39.71
18	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	71.96 16.08	126.1 25.02	236.8 35.7	158.72 25.61	98.44 14.88
19	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	454.03 70.09	345.55 71.31	417.45 36.4	121.4 16.54	311.46 29.36
20	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	77.29 53.05	26.42 19.78	48.85 45.63	41.76 40.34	90.93 64.45
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	68.11 18.85	66 16.96	145.59 26.56	160.36 27.1	183.13 29.62
22	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	364.17 16.95	257.04 18.41	418.14 21.98	321.79 16.8	1079.58 56.41

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
राजस्व दत्तमत							
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.42	72.94	43.4	78.31	120.96
			34.9	39.84	18.29	26.23	42.54
24	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	209.4	616.45	178.88	353.65	498.27
			60.34	66.96	27.22	54.6	71.64
25	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	203.5	317.72	158.31	258.53	101.47
			26.65	32.04	22.36	32.76	14.48
26	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	808.73	686.97	575.76	962.95	1267.63
			41.5	29.19	20.64	31.55	38.82
27	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	81.59	372	574.36	926.34	265.56
			19.48	47.59	49.68	59.42	24.54
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	95.39	96.52	94.59	185.82	127.04
			21.14	19.83	18.5	39	32.10
29	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	36.47	61.28	67.82	23.98	26.68
			53.16	64.54	67.27	61.28	85.99
30	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	218.11	470.44	492.52	485.1	684.26
			25.37	40.62	37.18	41.13	43.67
31	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	56.81	125.66	251.27	263.46	361.18
			15.21	20.65	39.03	44.02	53.44
32	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	46.83	20.87	36.35	141.51	94.95
			20.21	10.15	15.17	55.03	51.87

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15 से 2018-19)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.6: पृष्ठ 37)

योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
1	पुलिस	03-2055-104-0701-7936-विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ	10.00
2	गृह	04-2235-60-200-0801-7934-केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना	14.28
3	वित्त	06-2054-095-1201-7919- छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	10.00
4	वाणिज्यिक कर	07-2030-02-797-7428-छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	32.00
5	वाणिज्यिक कर	07-2030-02-797-7429- छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण	60.00
6	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	08-2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अंतरण	87.82
7	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	08-2029-797-6754- अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40
8	वन	10-2406-01-105-252- अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	22.00
9	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7758- उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य- विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	32.83
10	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-8914-वद्युत कम्पनियों को सहायता	100.00
11	ऊर्जा	12-4801-02-190-0101-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण	15.35
12	ऊर्जा	12-4801-06-800-0101-7899-पम्प फिडर सेग्रेशन स्कीम	10.00
13	कृषि	13-2401-105-7283-छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	10.00
14	कृषि	13-2401-119-0701-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	22.15
15	कृषि	13-2401-800-0311-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	46.50
16	पशुपालन	14-2403-101-0101-7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय	15.00
17	पशुपालन	14-2403-101-0311-7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	12.50
18	सहकारिता	17-6425-108-0101-7943-मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी	98.00
19	आवास एवं पर्यावरण	21-2049-60-701-7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	32.00
20	आवास एवं पर्यावरण	21-2216-02-190-0101-7444-विकास नगर योजना	10.00
21	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-7416-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	10.00
22	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-7685-स्मार्ट सिटी	40.00
23	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	24-5054-05-337-0101-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन)	350.00
24	खनिज संसाधन विभाग	25-4853-01-004-0420-7794-परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	285.21
25	स्कूल शिक्षा	27-2202-02-106-0101-5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	12.20
26	स्कूल शिक्षा	27-4202-01-202-0101-5646-सैनिक स्कूलों की स्थापना	19.00
27	स्कूल शिक्षा	27-4202-01-202-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	50.00
28	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-4515-102-0101-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	10.00
29	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-101-0101-4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण	20.00
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-337-0101-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00
31	परिवहन	36-5055-050-0801-7750-ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान	14.40
32	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0101-8933-शक्कर वितरण योजना	100.00
33	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0701-7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	12.50
34	आयाकट विभाग	40-4705-209-0701-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	245.00
35	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-109-0102-3673-राज्य छात्रवृत्तियों	70.00

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
36	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-02-106-0102-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	17.80
37	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-04-200-0702-7362-साक्षर भारत योजना	16.00
38	आदिवासी क्षेत्र	41-2401-119-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना	16.83
39	आदिवासी क्षेत्र	41-2401-800-0312-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	35.34
40	आदिवासी क्षेत्र	41-2406-01-105-0102-5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	16.00
41	आदिवासी क्षेत्र	41-2406-04-101-0702-7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	27.20
42	आदिवासी क्षेत्र	41-2408-01-102-0102-8933-शक्कर वितरण योजना	76.00
43	आदिवासी क्षेत्र	41-2801-80-101-0102-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	76.00
44	आदिवासी क्षेत्र	41-4202-01-202-1202-1400-ववेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03
45	आदिवासी क्षेत्र	41-4210-01-110-0702-7851-टर्सरी कैंसर संस्थान	10.00
46	आदिवासी क्षेत्र	41-4235-02-102-0702-337-आंगनवाडियों का सुधार एवं निर्माण	15.20
47	आदिवासी क्षेत्र	41-4701-17-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	13.31
48	आदिवासी क्षेत्र	41-4801-02-190-0102-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	11.67
49	आदिवासी क्षेत्र	41-5054-04-101-0102-4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण	20.00
50	आदिवासी क्षेत्र	41-5054-04-337-0102-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00
51	खेल और युवा कल्याण	43-2204-104-0101-7473-37वें राष्ट्रीय खेल	33.30
52	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	45-5054-05-337-0101-7820-सड़क और पुलों का निर्माण	20.00
53	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त	58-2245-02-106-1467-जिला एवं अन्य सडकें	15.00
54	अनुसूचित जाति	64-2202-02-106-0103-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	10.00
55	अनुसूचित जाति	64-2202-02-107-0803-8050-स्कॉलरशिप	12.03
56	अनुसूचित जाति	64-2401-800-0313-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	11.16
57	अनुसूचित जाति	64-2406-04-101-0703-7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	20.70
58	अनुसूचित जाति	64-2408-01-102-0103-8933-शक्कर वितरण योजना	24.00
59	अनुसूचित जाति	64-2801-80-101-0103-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	24.00
60	अनुसूचित जाति	64-4202-01-202-1203-1400-ववेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	12.38
61	अनुसूचित जाति	64-4225-01-102-0703-7699-प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामयोजना	40.00
62	अनुसूचित जाति	64-4515-102-0703-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	12.00
63	विमानन विभाग	65-5053-02-102-0101-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	20.05
64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	66-2202-02-109-0101-2949-बालिकाओं का गणवेश	10.00
65	पिछड़ा वर्ग कल्याण	66-4225-04-102-0701-7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना	13.39
66	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	69-2049-60-701-7709-सबके लिए आवास योजना	34.10
67	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-3275-800-0101-7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	32.20
68	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-5275-101-0101-7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु	20.00
69	जल संसाधन विभाग	75-4700-09-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	27.00
70	जल संसाधन विभाग	75-4700-10-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	15.00
71	जल संसाधन विभाग	75-4700-11-800-0313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	10.00
72	जल संसाधन विभाग	75-4700-12-800-0313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	20.00
73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00
74	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-2210-02-101-0701-7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.00

स. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
75	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-4210-01-110-0701-8938-चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव	16.80
76	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव	27.80
77	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	80-4515-198-1101-8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण	10.50
78	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-2217-05-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	12.50
79	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-191-0101-7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	198.01
80	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-192-0101-7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	69.60
81	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-193-0101-7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	87.00
82	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-6217-60-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	46.00
योग			3456.04

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7 (अ) पृष्ठ 37)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनवाध्यक सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	विवरण	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
अ- राजस्व दत्तमत						
1	01	सामान्य प्रशासन	209.18	189.23	19.95	22.59
2	03	पुलिस	4233.23	3700.55	532.69	84.21
3	04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	39.78	30.95	8.83	16.28
4	05	जेल	174.32	135.69	38.64	1.20
5	07	वाणिज्यिक कर विभाग	256.15	165.15	91.00	8.53
6	12	ऊर्जा विभाग	2047.79	1002.97	1044.82	32.90
7	14	पशुपालन विभाग	416.68	343.45	73.24	85.02
8	18	श्रम	173.58	117.27	56.31	20.85
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1978.47	1706.20	272.27	218.86
10	25	खनिज संसाधन विभाग	293.10	154.10	139.00	49.46
11	26	संस्कृति विभाग	40.83	37.71	3.11	20.50
12	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	472.07	433.06	39.01	65.08
13	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	3227.24	2268.88	958.37	634.59
14	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	38.30	27.14	11.16	1.00
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2272.15	1945.16	326.99	1.54
16	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	359.95	226.79	133.16	12.00
17	55	महिला एवं बाल कल्याण	990.51	535.45	455.06	44.45
18	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	247.41	154.51	92.89	8.88
19	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	850.43	749.30	101.13	210.33
20	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	136.08	50.15	85.93	5.00
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	615.46	435.15	180.31	2.82
22	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3819.69	2325.05	1494.64	380.79
23	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1795.80	1365.05	430.75	481.25
योग-अ			24688.20	18098.96	6589.26	2408.13
ब- पूँजीगत दत्तमत						
24	10	वन	17.32	7.63	9.69	12.00
25	17	सहकारिता	25.50	117.02	91.52	103.00
26	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1534.25	1181.18	353.07	122.54
27	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	675.89	599.42	76.47	25.00
28	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3017.14	1998.13	1019.01	248.62
29	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1455.95	882.54	573.41	110.85
30	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	668.59	314.65	353.94	7.24
31	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	280.00	104.00	176.00	283.40
32	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	604.00	185.00	419.00	6.61
योग-ब			8278.64	5389.57	2889.07	919.26
स- राजस्व भारित						
33	CH-1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्वासिंग	3967.45	3728.95	238.50	337.11
योग-स			3967.45	3728.95	238.50	337.11
कुल योग (अ+ब+स)			36934.29	27217.48	9716.83	3664.50

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.9
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7 (ब) पृष्ठ 37)
अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
अ-राजस्व दत्तमत							
1	06	वित्त विभाग	5494.43	1223.67	6718.11	5775.81	942.30
2	13	कृषि	2358.75	3270.14	5628.89	5075.76	553.13
3	17	सहकारिता	157.49	1512.39	1669.88	1590.98	78.89
4	27	स्कूल शिक्षा	3021.70	890.31	3912.01	3248.37	663.64
5	32	जनसम्पर्क विभाग	225.43	60.00	285.43	228.49	56.93
6	33	आदिम जाति कल्याण	2074.02	1060.21	3134.23	2954.89	179.34
7	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	12304.57	4672.32	16976.89	13068.95	3907.94
8	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4167.02	1347.21	5514.23	4242.49	1271.74
योग-अ			29803.41	14036.25	43839.67	36185.74	7653.91
ब- पूँजीगत दत्तमत							
9	17	सहकारिता	25.50	103.00	128.50	117.02	11.48
योग-ब			25.50	103.00	128.50	117.02	11.48
कुल योग (अ+ब)			29828.91	14139.25	43968.17	36302.76	7665.39

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.10
(संदर्भ: कडिका-2.2.8 (अ) पृष्ठ 37)
उप-शीर्षो के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	01-2013-105-9064- मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान	35.70	35.52	0.18	7.00
2	03-2055-109-4491- सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)	2046.97	1797.77	249.20	25.30
3	03-2055-109-6717- प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	143.32	140.83	2.49	10.00
4	03-2055-115-0600-7918- नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	230.00	160.00	70.00	36.64
5	07-2040-001-3569- मुख्यालय स्थापना व्यय	11.12	8.52	2.60	8.50
6	12-2801-80-101-0101-7758- उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य-विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	0.03	0.00	0.03	32.80
7	13-2401-108-0701-7830-परम्परागत कृषि विकास योजना	10.00	1.25	8.75	11.46
8	13-2401-113-0701-8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	25.50	12.76	12.74	11.37
9	14-2403-102-5535-छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान	6.75	1.75	5.00	5.00
10	14-2403-103-0701-3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर	15.17	12.60	2.58	1.27
11	18-2230-01-103-0101-7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	29.25	25.45	3.80	13.93
12	18-2230-01-103-0101-8989-ढेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल	10.00	6.13	3.87	6.33
13	25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण	250.00	118.00	132.00	49.46
14	27-2202-01-102-0101-110-अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	25.00	21.50	3.50	1.00
15	27-2202-02-110-0101-110-अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	31.50	30.70	0.80	1.00
16	27-2204-102-3755- राष्ट्रीय सैन्य दल	24.93	14.28	10.65	1.81
17	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1177.06	1079.46	97.60	634.59
18	41-2202-01-109-0702-8979- एकीकृत अम्ब्रेला योजना	138.00	110.24	27.76	75.20
19	41-2210-05-105-0102-8941- चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	22.29	14.34	7.95	1.75
20	41-2216-03-105-0702-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	894.57	854.29	40.28	482.28
21	41-2217-80-192-0702-7610- स्वच्छ भारत अभियान	9.17	9.17	0.00	2.05
22	41-2401-108-0702-7830- परम्परागत कृषि विकास योजना	7.60	1.73	5.87	10.06
23	41-4225-02-102-1002-5480- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}	120.00	104.62	15.38	9.60
24	41-5275-101-0102-7861- संचार क्रांति योजना	197.60	79.04	118.56	215.38
25	47-2230-03-003-0801-7867- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	2.14	0.00	2.14	7.84
26	55-2235-02-102-0701-7507- राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना	2.70	0.70	2.00	9.35
27	64-2202-01-101-0103-3491- माध्यमिक शालाये (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	114.40	97.15	17.25	28.80

स. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
28	64-2202-02-109-0803-8050- स्कॉलरशिप	36.84	13.02	23.82	13.01
29	64-2230-03-003-0803-7867- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	1.08	0.00	1.08	1.06
30	64-2401-108-0703-7830-परम्परागत कृषि विकास योजना	2.40	0.66	1.74	3.48
31	64-2401-113-0703-8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	6.12	4.62	1.50	5.41
32	64-4225-01-102-0603-7626- विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	15.00	9.83	5.17	36.77
33	64-4515-102-0703-7759- श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	6.00	0.00	6.00	6.00
34	64-5275-101-0103-7861- संचार क्रांति योजना	62.40	24.96	37.44	68.01
35	66-2202-02-109-0801-8050- स्कॉलरशिप	23.00	22.60	0.40	8.88
36	67-4210-03-105-0101-4220- शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	70.00	7.95	62.05	5.60
37	69-2217-80-191-0701-7610- स्वच्छ भारत अभियान	58.00	47.45	10.55	13.85
38	71-5275-101-0101-7861- संचार क्रांति योजना	260.00	104.00	156.00	283.40
39	79-2210-01-110-7719- सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर	16.53	7.30	9.23	2.30
40	80-2515-198-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1180.02	661.31	518.71	116.37
41	81-2217-05-191-7675- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	221.97	172.91	49.06	43.20
42	81-2217-05-192-7675- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	71.66	27.91	43.75	13.95
43	81-2217-05-193-7675- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	68.44	26.66	41.79	13.32
44	81-3604-191-8018- प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	617.52	480.88	136.64	228.87
45	81-3604-192-8018- प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	200.85	159.13	41.72	78.79
46	81-3604-193-8018- प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	181.63	151.51	30.12	67.54
47	81-4217-60-191-0101-7241- नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	191.40	0.00	191.40	6.61
योग		8871.63	6660.50	2211.15	2716.19

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ: कडिका-2.2.8 (ब) पृष्ठ 37)
उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिव्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	01-2015-101-6262- राज्य निर्वाचन आयोग	9.03	16.82	7.79	10.60
2	06-2435-60-101-0101-8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	0.00	249.86	249.86	1223.47
3	10-4406-02-111-0101-6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन	0.00	0.23	0.23	12.00
4	13-2401-102-0101-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	1055.00	3980.66	2925.66	3064.00
5	13-2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	68.50	184.24	115.74	123.30
6	14-2403-001-1468-जिला एवं संभागीय स्तर पर व्यय	25.31	28.49	3.18	11.27
7	14-2403-101-0101-2549- जिला एवं संभागीय स्तर पर व्यय	156.02	166.91	10.89	42.00
8	14-2403-102-1108-गहन पशु विकास परियोजना	33.33	42.25	8.92	20.40
9	17-4425-108-0101-7678- सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूजी	5.00	7.02	2.02	5.00
10	19-2210-03-103-0101-7330-मितानिन कल्याण निधि	101.57	109.43	7.86	66.81
11	24-5054-03-337-0520-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	200.00	280.45	80.45	122.54
12	26-2205-102-5753-समारोह हेतु अनुदान	0.00	12.81	12.81	19.00
13	27-2202-01-101-0101-3491-माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	486.74	728.46	241.72	265.05
14	27-2202-01-101-0101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं	362.38	710.27	347.89	361.79
15	27-2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	422.87	669.82	246.94	259.07
16	29-2015-103-3307-मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी	29.06	35.59	6.53	11.55
17	29-2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	112.00	134.37	22.37	53.23
18	30-4515-102-0701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	22.00	25.92	3.92	25.00
19	32-2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन	95.04	100.13	5.10	27.46
20	32-2220-60-106-1479-जिला प्रचार एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना	32.78	33.20	0.42	21.53
21	32-2220-60-106-5376-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार	60.00	62.37	2.37	11.00
22	33-2202-01-101-2772-प्राथमिक शालाएं	567.39	1056.04	488.66	515.56
23	33-2202-02-109-3492- माध्यमिक विद्यालय	888.82	1135.66	246.84	292.00
24	33-2202-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं	337.49	557.19	219.70	252.65
25	41-2202-01-101-0102-3491-माध्यमिक शालाएं	369.11	505.71	136.60	153.98
26	41-2202-01-101-0102-4396- सरकारी प्राथमिक शालाएं	272.97	540.81	267.84	337.18
27	41-2202-02-109-0102-5216-हाई स्कूल	100.89	182.72	81.83	91.97
28	41-2202-02-109-0102-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	305.26	478.95	173.70	182.00
29	41-2202-02-109-0102-761-कन्या शिक्षा परिसर	6.51	7.05	0.55	2.97
30	41-2235-02-102-0102-6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	34.20	59.14	24.94	43.87
31	41-2401-102-0102-7931-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	26.65	26.65	45.60
32	41-2401-102-0102-8972-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	799.90	2629.04	1829.14	1892.00
33	41-2401-110-0102-7797- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	51.18	124.29	73.11	85.00
34	41-2403-101-0702-5620-पशुरोग नियंत्रण	0.00	0.74	0.74	2.80
35	41-4515-102-0702-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	19.00	28.61	9.61	19.00
36	47-2230-02-001-0801-9147-रोजगार कार्यालय	0.54	0.65	0.11	4.16
37	55-2235-02-102-0101-6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	45.01	65.16	20.15	35.10

स. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
38	64-2202-01-101-0103-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं	85.84	116.87	31.04	33.12
39	64-2202-02-109-0103-578- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	94.50	183.22	88.73	89.86
40	64-2216-03-105-0703-7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	282.50	411.92	129.43	152.30
41	64-2225-01-102-0603-7626- विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	25.00	27.38	2.38	22.00
42	64-2235-02-102-0103-6908- कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय	10.81	16.97	6.16	8.77
43	64-2401-102-0103-8972- धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	252.60	760.34	507.74	528.00
44	64-2401-110-0103-7797- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	16.32	39.57	23.25	25.00
45	64-2403-102-0703-7621- नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	2.50	4.10	1.60	2.99
46	80-2235-60-198-0101-7921- मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	67.46	67.46	164.42
47	80-2515-198-1101-8214- सचिवालय प्रबंधन	98.00	195.88	97.88	100.00
48	81-2235-60-191-0101-7921- मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	1.03	1.03	17.80
49	81-2235-60-192-0101-7921- मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	0.63	0.63	8.90
50	81-2235-60-193-0101-7921- मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	1.17	1.17	8.88
योग		7942.97	16804.25	8861.34	10873.95

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.12
(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (स) पृष्ठ 38)
उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान में कमी
1	03-2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	2.43	3.50	1.07	0.00	1.07
2	10-2406-01-001-3555-मुख्यालय	22.93	26.20	3.27	0.28	2.99
3	13-2401-102-0101-7931-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	74.55	74.55	60.00	14.55
4	19-2210-03-197-0101-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	121.44	125.25	3.81	0.00	3.81
5	19-2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.83	81.71	14.88	0.05	14.83
6	50-2053-093-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	1.62	2.71	1.09	0.05	1.04
7	67-4202-03-102-0101-5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास-स्टेडियम आदि.	28.52	49.19	20.67	1.00	19.67
8	76-5054-03-337-1202-5626-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-3	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59
9	79-4210-01-110-0101-7719-सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर	13.00	15.49	2.49	0.00	2.49
योग		256.77	380.19	123.42	61.38	62.04

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ: कंडिका-2.2.9: पृष्ठ 38)
अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियो जन	व्यय	(₹ करोड़ में)
					अंतिम आधिक्य(+) / बचत(-)
1	03-2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1205.35	-50.41	1140.90	-14.04
2	03-2055-109-4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	2072.27	-256.41	1797.77	-18.09
3	06-2071-01-101-2413- निवृत्त वेतन भोगियों को देय	3400.00	-300.36	2969.24	-130.40
4	08-2029-103-1472- जिला खर्च	298.57	-58.58	250.90	10.90
5	08-5054-05-337-0510-7860- अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	125.00	-70.44	81.66	27.09
6	10-2406-01-101-0101-2965- बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	47.37	-11.32	25.23	-10.83
7	10-2406-01-101-3877- क्षेत्रीय वन मण्डल	388.61	-17.35	355.30	-15.97
8	19-2210-01-196-0101-1473- जिला चिकित्सालय	206.98	-37.53	151.72	-17.73
9	19-2210-03-197-0101-5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	121.44	-16.63	125.25	20.44
10	19-2210-03-198-0101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	271.96	-49.04	243.14	20.22
11	19-2210-03-198-0101-620- उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.88	-4.25	81.71	19.09
12	19-2211-101-0701-621- उप स्वास्थ्य केन्द्र	138.00	-60.86	96.80	19.65
13	30-2515-102-0101-4855- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	38.40	-7.88	46.93	16.41
14	39-2408-01-102-0701-7801- मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	12.50	-0.03	0.00	-12.47
15	41-2202-01-109-0702-8979- एकीकृत अम्ब्रेला योजना	213.20	-128.94	110.24	25.99
16	41-2210-03-197-0102-5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	64.55	-9.77	86.94	32.16
17	41-2210-03-198-0102-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	89.54	-7.73	98.29	16.48
18	41-2210-03-198-0102-620- उप स्वास्थ्य केन्द्र	34.55	-1.11	60.89	27.46
19	41-2211-101-0702-621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	116.70	-26.60	101.35	11.25
20	41-2225-02-102-0602-7626- विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	80.00	-29.26	1.41	-49.34
21	41-5054-04-337-0312-7475- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	60.80	-20.14	27.58	-13.08
22	47-2203-001-0101-7745- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	60.00	-20.86	29.14	-10.00
योग		9112.67	-1185.50	7882.39	-44.81

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ: कंडिका-2.2.10: पृष्ठ 38)
वास्तविक बचत से अधिक सर्म्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	बचत	अधिक्य	सर्म्पण	अधिक्य राशि का सर्म्पण
अ-राजस्व दत्तमत						
1	06	वित्त विभाग	942.30	0.00	1051.19	108.89
2	07	वाणिज्यिक कर विभाग	99.53	0.00	105.59	6.06
3	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	389.98	0.00	397.09	7.11
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	491.13	0.00	565.15	74.02
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	135.06	0.00	138.71	3.65
6	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	104.09	0.00	104.63	0.54
7	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	802.96	0.00	803.89	0.93
8	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	1592.95	0.00	1613.05	20.10
9	33	आदिम जाति कल्याण	179.34	0.00	179.99	0.65
10	44	उच्च शिक्षा	103.89	0.00	105.15	1.26
11	55	महिला एवं बाल कल्याण	499.51	0.00	500.24	0.73
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	152.90	0.00	167.00	14.10
योग-अ			5493.64	0.00	5731.68	238.04
ब-पूँजीगत दत्तमत						
13	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	253.03	0.00	279.60	26.57
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35.48	0.00	37.31	1.83
15	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	475.60	0.00	491.69	16.09
16	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	101.47	0.00	103.90	2.43
17	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	265.56	0.00	272.07	6.51
18	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	1.87	0.00	2.77	0.90
19	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	361.18	0.00	362.37	1.19
योग - ब			1494.19	0.00	1549.71	55.52
योग अ+ब			6987.83	0.00	7281.39	293.56

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 38)

बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समग्रण का हिस्सा नहीं है

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
अ- राजस्व दत्तमत					
1	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	39.30	27.14	12.16
2	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2273.69	1945.16	328.53
योग- अ			2312.99	1972.30	340.69
ब-पूँजीगत दत्तमत					
3	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	7.35	0.51	6.84
4	60	जिला परियोजनाओं	52.00	50.97	1.03
योग- ब			59.35	51.48	7.87
स - राजस्व भारित					
5	CH1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4304.56	3728.95	575.61
6	12	ऊर्जा विभाग	229.00	223.00	6.00
योग- स			4533.56	3951.95	581.61
द- पूँजीगत भारित					
7	CH2	सार्वजनिक ऋण	2063.37	1145.89	917.48
योग- द			2063.37	1145.89	917.48
महायोग (अ+ब+स+द)			8969.27	7121.63	1847.65

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 38)

एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत को समर्पण नहीं किये गये

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पण नहीं हुई
अ- राजस्व दत्तमत						
1	01	सामान्य प्रशासन	231.77	42.53	41.07	1.46
2	02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	29.32	12.26	7.76	4.50
3	03	पुलिस	4317.44	616.89	582.78	34.12
4	04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	56.06	25.11	11.73	13.38
5	10	वन	1041.73	314.55	259.79	54.76
6	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	607.04	395.16	393.04	2.12
7	18	श्रम	194.44	77.17	48.90	28.26
8	28	राज्य विधान मंडल	61.90	22.85	0.65	22.20
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16967.58	3907.94	3660.00	247.94
10	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	371.95	145.16	135.35	9.81
11	56	ग्रामोद्योग	105.79	24.74	13.73	11.01
12	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5511.30	1271.74	1219.20	52.54
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	618.29	183.13	119.59	63.54
14	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4200.48	1875.43	1743.72	131.71
15	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1913.65	1079.58	1077.61	1.96
योग-अ			36228.74	9994.24	9314.92	679.31
ब - पूंजीगत दत्तमत						
16	01	सामान्य प्रशासन	115.80	26.30	0.61	25.69
17	10	वन	29.32	21.69	19.93	1.76
18	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3265.76	1267.64	1235.03	32.56
19	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.20	1.54	0.02	1.53
20	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1566.80	684.26	667.36	16.88
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	189.20	97.28	95.48	1.81
योग-ब			5170.08	2098.71	2018.43	80.23
स - राजस्व भारित						
22	10	वन	28.49	7.19	2.41	4.79
कुल योग = अ+ब+स			41427.31	12100.14	11335.76	764.33

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.17
(संदर्भ: कंडिका-2.2.12, पृष्ठ 38)
वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का वर्णन	कुल व्यय	अंतिम तिमाही का व्यय	अंतिम तिमाही का प्रतिशत व्यय
1	2015	निर्वाचन	190.14	95.82	50.39
2	2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	100.00	100.00	100.00
3	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.02	0.01	50.00
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.65	3.74	80.43
5	2401	फसल कृषि-कर्म	8839.89	4472.67	50.60
6	2425	सहकारिता	3119.17	3066.09	98.30
7	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	261.85	249.87	95.42
8	2853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	191.28	161.82	84.60
9	3053	नागर विमानन	0.25	0.17	68.00
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.88	5.55	70.43
11	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	339.50	227.79	67.10
12	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.92	8.64	87.10
13	4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2.77	2.35	84.84
14	4405	मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय	1.10	0.74	67.27
15	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	20.45	14.44	70.61
16	4408	खाद्य भंडारण और भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय	0.61	0.42	68.85
17	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4.98	5.16	103.61
18	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	588.68	317.61	53.95
19	4801	उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	230.00	170.00	73.91
20	4810	उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	560.26	295.89	52.81
21	4853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.92	2.59	66.07
22	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय राजस्व	13.77	12.57	91.29
योग			14491.09	9213.94	63.58

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कडिका 3.1; पृष्ठ 41)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम	वर्ष 2016-17 तक		2017-18		2018-19	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें	0	0.00	1	0.00*	0	0.00
2	2202-सामान्य शिक्षा	1	0.71	0	0.00	10	607.82
3	2203-तकनीकी शिक्षा	0	0.00	12	5,406.99	0	0.00
4	2216-आवास	1	0.19	2	11,958.05	17	1,92,797.10
5	2217-शहरी प्रशासन	0	0.00	138	1,19,943.09	89	96,623.89
6	2230-श्रम एवं रोजगार	0	0.00	0	0.00	2	152.00
7	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0.00	1	2.00	0	0.00
8	2245-प्राकृतिक आपदा से राहत	0	0.00	8	80.39	5	52.83
9	2250- अन्य सामाजिक सेवायें	0	0.00	1	600.00	0	0.00
10	2401-फसल पैदावार/कृषि कर्म	0	0.00	3	432.43	2	160.74
11	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	0	0.00	0	0.00	1	436.00
12	2403-पशु पालन	0	0.00	4	169.34	0	0.00
13	2415-कृषि, शोध एवं शिक्षा	0	0.00	1	3125.00	0	0.00
14	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	1	972.32	0	0.00
15	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	3	8500.00	0	0.00
16	2702-लघु सिंचाई	0	0.00	0	0.00	1	1.17
17	2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0	0.00	0	0.00	2	500.00
18	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	11	908.62
19	3275-अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	9	2,582.90	11	3,759.82
20	3604-स्थानीय निकायों से क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	43	6,698.08	37	75,539.61	60	85,240.98
योग		45	6,698.98	221	2,29,312.16	211	3,81,240.98

* ₹2,100.00

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.2; पृष्ठ 42)

जनवरी 2020 तक की लंबित वि.आ. देयको का वितरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकास्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017-18	1	1.38
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2017-18	1	0.18
2202	सामान्य शिक्षा	2017-18	1	0.62
		2018-19	1	5.00
2230	श्रम एवं रोजगार	2017-18	6	0.53
		2018-19	7	0.64
2235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2017-18	16	21.03
		2018-19	76	87.45
2245	प्राकृतिक आपदा से राहत	2018-19	5	1.43
2401	फसल पैदावार/कृषि कर्म	2018-19	9	10.46
2403	पशु पालन	2018-19	2	0.58
2405	मत्स्य पालन	2018-19	15	48.00
2406	वनिकी एवं वन्यजीव	2018-19	1	0.71
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2018-19	1	0.29
2701	मध्यम सिंचाई	2017-18	1	0.04
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	2017-18	2	73.13
		2018-19	23	167.31
2852	उद्योग	2017-18	1	0.25
		2018-19	9	318.55
योग			178	737.58

परिशिष्ट -3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

31 दिसम्बर 2019 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखें वाले सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुए	लंबित लेखे की अवधि	वर्ष के दौरान बकाया लेखें में राज्य शासन द्वारा अनुदान तथा प्रतिभूतियां (₹ करोड़ में)			
					पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रतिभूति	योग
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	0.50	2017-18	2018-19	-	85.91	-	85.91
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	2017-18	2018-19	-	0.40	36.00	36.40
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	2017-18	2018-19	53.20	2.80	-	56.00
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2263.10	2017-18	2018-19	230.00	2078.77	2955.00	5263.77
5	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृह निर्माण निगम लिमिटेड	0.10	नया / 15.03.2018	2018-19	-	-	3427.28	3427.28
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	4.43	2017-18	2018-19	-	2902.46	-	2902.46
7	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	4.90	2017-18	2018-19	646.57	-	-	646.57
8	छत्तीसगढ़ राज्य अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	2015-16	2016-17 से 2017-18	-	15.50	-	15.50
				2018-19	-	10.48	-	10.48
9	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1.60	2014-15	2015-16 से 2017-18	244.30	56.37	-	300.67
				2018-19	38.85	5.99	-	44.84
योग					1,212.92	5,158.68	6,418.28	12,789.88

परिशिष्ट -3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.80	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	3	0.19	1	7.26	3	11.81	7	19.26
5	तकनीकी शिक्षा	6	2.31	0	0.00	7	50.30	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.07	3	0.19	13	16.67	20	17.93
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	2	1.06	2	1.06
8	महिला एवं बाल कल्याण	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
9	स्कूल शिक्षा	21	12.93	19	156.25	19	67.10	59	236.28
10	पुलिस	35	6.56	5	19.45	158	15.75	198	41.76
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.85	13	1.45
12	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	पशुपालन	8	1.80	1	0.10	162	13.18	171	15.08
14	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
15	पंचायत एवं समाज कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
16	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
17	ग्राम एवं लघु उद्योग (रेशम पालन) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
18	विधि एवं विधायी विभाग	5	0.28	2	8.82	0	0.00	7	9.10
19	श्रम एवं रोजगार	9	3.00	0	0.00	3	0.63	12	3.63
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.07	3	0.15	4	0.22
21	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवार्यें	6	1.11	10	35.05	4	9.91	20	46.07
23	फसल पैदावार/कृषिकर्म	1	0.24	1	2.98	6	0.57	8	3.79
24	वन	2	5.71	0	0.00	953	939.00	955	944.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	475	10,264.47	477	10,264.71
26	जल संसाधन विभाग	7	1.24	0	0.00	16	550.18	23	551.42
27	वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
28	कलेक्ट्रेट	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
29	सफाई एवं जल अपूर्ति विभाग	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
30	खनन एवं धातुकर्म विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
31	ग्रामीण अभियान्त्रिक सेवा	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
योग		135	54.27	71	540.50	1,855	11,954.57	2,061	12,549.34

परिशिष्ट -3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2019 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						योग
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	5 (1.80)	3 (6.47)	4 (4.43)	2 (0.24)	—	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	—	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	—	—	3 (7.33)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.26)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.15)	5 (47.19)	6 (5.02)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	1 (0.17)	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.65)	3 (12.47)	10 (2.89)	20 (17.93)
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	2 (1.06)	—	—	—	—	—	2 (1.06)
8	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	2 (3.50)	1 (0.31)	3 (3.81)
9	स्कूल शिक्षा	8 (136.95)	2 (44.31)	7 (12.15)	3 (17.76)	1 (0.00)	38 (25.11)	59 (236.28)
10	पुलिस	102 (2.52)	59 (9.65)	22 (1.45)	7 (11.21)	6 (14.58)	2 (2.35)	198 (41.76)
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.45)	13 (1.45)
12	भु-राजस्व	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
13	पशु चिकित्सा सेवा	45 (3.60)	63 (5.95)	56 (3.00)	2 (1.84)	—	5 (0.69)	171 (15.08)
14	सहकारिता	—	—	—	—	1 (96.26)	—	1 (96.26)
15	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
16	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
17	ग्राम एवं लघु उद्योग (रेशम पालन)	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
18	विधि एवं विधायी विभाग	2 (0.17)	2 (0.00)	2 (1.14)	1 (7.79)	—	—	7 (9.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

19	श्रम एवं रोजगार	—	2 (0.50)	3 (2.19)	2 (0.52)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.63)
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1 (0.09)	—	—	3 (0.13)	4 (0.22)
21	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	3 (0.48)	9 (2.62)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.05)	5 (32.38)	1 (0.64)	11 (3.15)	20 (46.07)
23	फसल पैदावार/ कृषिकर्म	1 (0.02)	3 (0.16)	3 (0.63)	1 (2.98)	—	—	8 (3.79)
24	वन	50 (66.03)	30 (62.06)	87 (143.08)	149 (180.94)	208 (341.83)	431 (150.77)	955 (944.71)
25	लोक निर्माण विभाग	51 (3,940.39)	327 (5,749.72)	99 (574.60)	—	—	—	477 (10,264.71)
26	जल संसाधन विभाग	10 (358.96)	7 (65.46)	6 (127.00)	—	—	—	23 (551.42)
27	वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
28	क्लेक्ट्रेट	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
29	सफाई एवं जल आपूर्ति विभाग	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
30	खनन एवं धातुकर्म विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
31	ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवा	1 (4.00)	—	0 (0.41)	1 (0.00)	—	—	2 (4.41)
	कुल योग	285 (4,516.99)	507 (6,001.87)	309 (904.47)	179 (257.66)	227 (481.58)	554 (386.77)	2,061 (12,549.34)

परिशिष्ट –3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.5:पृष्ठ 45)

विभिन्न विभागों के हानि प्रकरणों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि राशि	वसूली राशि
1	510	2406	वन	हानि	2002-03	10,600	10,600
2	50	2406	वन	हानि	2014-15	81,875	81,875
3	56	2406	वन	हानि	2017-18	4,160	4,160
4	464	2406	वन	हानि	2002-03	49,664	49,664
5	60	2406	वन	हानि	1989-90	5,184	4,985
6	61	2406	वन	हानि	1993-94	23,340	23,340
7	62	2406	वन	हानि	1998-99	52,533	52,533
8	63	2406	वन	हानि	1991-92	5,309	5,309
9	65	2406	वन	हानि	1991-92	16,540	16,540
10	64	2406	वन	हानि	2017-18	56,757	56,757
11	67	2051	पी.एस.सी.	हानि	2005-06	3,16,000	3,16,000
12	66	2059	पी.डब्लू.डी	हानि	2012-13	3,540	3,540
13	53	2055	पुलिस	हानि	2011-12	817	817
14	54	2055	पुलिस	हानि	2017-18	1,518	1,518
15	58	2055	पुलिस	हानि	2017-18	9,879	9,879
16	59	2055	पुलिस	हानि	2017-18	5,745	5,745
योग						6,43,461	6,43,262

परिशिष्ट –3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.6: पृष्ठ 46)

मार्च 2019 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रशासक	मुख्य शीर्ष	राशि
1	अधीक्षक-केन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.31
2	संयुक्त निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.08
3	कलेक्टर, भू अभिलेख, धमतरी	2029	0.08
4	उपजिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.03
योग			0.50

परिशिष्ट –3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.6.2: पृष्ठ 46)

व्यक्तिगत जमा खातों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि
1	बिलासपुर	365.13
2	रायगढ़	336.87
3	रायपुर	259.89
4	कोरबा	135.71
5	जाँजगीर-चांम्पा	133.77
6	जगदलपुर	69.63
7	अबिकापुर	63.38
8	बलरामपुर	59.61
9	महासमुंद	47.73
10	राजनांदगाँव	39.11
11	गरियाबंद	36.80
12	जशपुर	13.50
13	धमतरी	12.41
14	कांकेर	12.28
15	मुंगेली	8.09
16	कोण्डागाँव	7.52
17	कबीरधाम	7.42
18	दंतेवाड़ा	6.44
19	बलौदाबाजार	5.30
20	दुर्ग	5.16
21	सुरजपुर	4.80
22	कोरिया	4.21
23	बेमेतरा	2.48
24	बीजापुर	0.18
योग		1,637.42

परिशिष्ट –3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 47)

पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	प्रयोग्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत लागत	45	पूँजीगत सम्पत्ति सृजन हेतु अनुदान	9.39
2	4202	शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत लागत	45		1.39
3	4215	जलपूर्ति व स्वच्छता पर पूँजीगत लागत	45		24.02
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत लागत	45		227.70
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत लागत	45		219.93
6	4403	पशुपालन पर पूँजीगत लागत	45		5.00
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत लागत	45		498.16
8	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	45		230.00
9	4810	नव एवं अक्षय उर्जा पर पूँजीगत लागत	45		560.26
10	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत लागत	45		208.00
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत लागत	45		2.12
12	5452	पर्यटन पर पूँजीगत लागत	45		12.77
13	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.36
14	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	04		0.43
15	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	04		0.06
16	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	10	व्यवसायिक सेवा	0.61
17	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पर पूँजीगत लागत	10		3.34
18	4235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत लागत	24	अनुरक्षण कार्य	0.21
योग					2,003.75

परिशिष्ट –3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 49)

वर्ष 2018–19 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तिओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के मध्य कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तिओं के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	487.57	93.22	19.12
2	0039	राज्य उत्पाद	4,489.02	979.34	21.82
3	0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,790.27	239.29	13.37
4	0051	लोक सेवा आयोग	8.58	2.18	25.41
5	0055	पुलिस	29.18	23.44	80.33
6	0056	कारागार	5.78	2.46	42.56
7	0058	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.84	2.14	75.35
8	0059	लोक निर्माण	73.57	75.56	102.70*
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.10	23.30	55.34
10	0071	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पर योगदान एवं प्राप्तियाँ	23.23	7.49	32.24
11	0202	सामान्य शिक्षा	14.04	2.82	20.09
12	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	52.86	6.77	12.81
13	0211	परिवार कल्याण	0.07	0.07	100.00
14	0217	शहरी विकास	30.31	30.32	100.03*
15	0220	सूचना एवं प्रचार	0.33	0.33	100.00
16	0230	श्रम एवं रोजगार	26.75	10.86	40.60
17	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.70	5.70	100.00
18	0401	फसल पैदावार/ कृषिकर्म	25.83	16.90	65.43
19	0403	पशुपालन	6.11	2.43	39.77
20	0405	मत्स्य पालन	5.45	2.11	38.72
21	0406	वानिकी एवं वन्य जीव	236.73	92.35	39.01
22	0408	खाद्य सुरक्षा एवं भंडारण	0.63	0.65	103.17*
23	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.28	1.23	96.09
24	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.30	1.41	32.79
25	0701	मध्यम सिंचाई	11.32	2.20	19.43
26	0702	लघु सिंचाई	164.06	164.06	100.00
27	0852	उद्योग	5.31	5.32	100.19*
28	0853	अलौह खनन एवं धातुकर्म	6,110.24	883.44	14.46
29	1053	नागरिक उड्डयन	0.17	0.17	100.00
योग			13,653.63	2,677.56	

- मुख्य शीर्ष 0059,0217,0480 एवं 0852 के अंतर्गत प्राप्तिओं कुल प्राप्तिओं से ज्यादा इन मुख्य शीर्षों में राजस्व वापसी के कारण दिख रही है । इन मुख्य शीर्षों में राजस्व वापसी क्रमशः ₹3.70 करोड़, ₹0.02 करोड़, ₹0.01 करोड़ एवं ₹0.01 करोड़ थी ।

परिशिष्ट –3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.9: पृष्ठ 49)

वर्ष 2018–19 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800– अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800–अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत
1	2029	भू-राजस्व	282.87	100.00	35.35
2	2245	प्राकृतिक विपदाओं से राहत	322.21	89.41	27.75
3	2250	अन्य सामाजिक सेवायें	4.65	0.84	18.06
4	2810	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	26.25	11.81	44.99
5	2853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	191.26	37.09	19.39
6	3275	अन्य संचार सेवायें	50.15	50.15	100.00
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत लागत	7.88	7.88	100.00
8	4406	वानिकी और वन्य जीव पर पूँजीगत लागत	20.54	3.33	16.21
9	4408	खाद्य सुरक्षा एवं भंडारण पर पूँजीगत लागत	0.62	0.12	19.35
10	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	635.56	501.07	78.84
11	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	65.25	48.71	74.65
12	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	130.00	100.00	76.92
13	5055	सड़क यातायात पर पूँजीगत लागत	3.09	3.09	100.00
योग			1,740.33	953.50	

परिशिष्ट –3.12
(संदर्भ: कंडिका 3.10.2:पृष्ठ 50)
अस्थाई अग्रिम का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि आहरण
1	पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर	2013-15	3	10.23
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिल्हा	2013-14	1	2.00
3	आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग	2016-19	30	82.82
4	उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, दुर्ग	2012-18	89	29.86
5	संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, बिलासपुर	2013-19	369	83.94
6	ए.सी.टी.डी, बिलासपुर	1971-07	96	2.55
7	निदेशक, आयुष, रायपुर	2009-16	10	41.68
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर	1986-12	95	8.53
9	बी.ई.ओ बगीचा जशपुर	2017-18	3	1.77
10	बी.ई.ओ, दुर्गकौदल, कांकेर	2011-12	2	0.25
11	डी.ई.ओ, कबीरधाम	2017-18	32	30.68
12	बी.ई.ओ, सुकमा	2008-18	22	24.52
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर	2012-17	73	658.00
14	डी.ई.ओ, कोंडागॉव	2016-18	25	19.42
15	डीन, पंडित जे.एन.एम चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	2006-07 से 2016-17	3	403.00
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,कोरबा	2011-18	27	57.29
17	पी.ओ, आइ.सी.डी.एस, रायपुर	2013-18	16	12.37
18	बी.ई.ओ बिल्हा,बिलासपुर	2015-18	22	6.05
19	डी.ई.ओ, महासमुंद	2016-19	7	0.75
20	पी. ओ, आइ.सी.डी.एस, तिल्दा, रायपुर	2015-18	20	7.99
21	ए.सी,टी,डी, बलोदाबाजार	2017-18	12	97.50
22	ए.सी,टी,डी, कोरबा	2014-19	51	34.13
योग			1,008	1,615.33

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in